‘नव जीवन-निबन्ध-माला’ सं० १

हमारी कारावास कहानी

लेखक,

श्रीयुत भवानी दयाल

(डरबन-नेटाल)

प्रकाशक,

सरस्वती-सदन

इन्दौर (मध्यभारत)

श्रावण १९७५ सौर, अगस्त १९१८ ई०

मूल्य
भारत में ॥)
डाक व्यय प्रथक

प्रथमावृत

मूल्य
विदेशोंमें १ शिलिंग
डाक व्यय सहित

प्रकाशक—
द्वारिका प्रसाद सेवक-
सरस्वती-सदन,
इन्दौर.

मुद्रकः-
रा. रा. चिंतामण सखाराम देवळे
मुंबईवैभव प्रेस, सँढर्स्ट रोड,
गिरगाँव-बम्बई।

प्रस्तावना

लीजिये पाठक ! आज यह '**कारावास कहानी**' आपके कर कमलोंमें सादर समर्पित है । **महात्मा मेज़िनी** के कथनानुसार प्रत्येक देशसेवक को कुछ समय के लिये उस एकान्त स्थान में रहना पड़ता है, जिसका इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है । हमारे देश के शिक्षित नवयुवकों में इस समय देशमाताकी पवित्र सेवा का भाव जागृत हुआ है, यह हमारे भावी अभ्युदयका पूर्व शुभ लक्षण है, किन्तु यह स्मरण रहे कि देशसेवा के पवित्र पथमें प्रवृत्त होते समय अपनी अहंमन्यता को नितान्त ही निर्मूल कर देना पड़ेगा; क्यों कि अहंकारी मनुष्य देश सेवा के पवित्र क्षेत्र में पांव रखनेका अधिकारी नहीं हो सकता । देश भक्तके लिये यह परम आवश्यक है कि वह अपने शरीर को भी अपना न समझे, अहंकार को विस्मृत कर के यह मान ले कि उसका शरीर भी उसका नहीं है, प्रत्युत देश का उद्धार करने के लिये वह ईश्वर का हथियार है । जहां अहंकार का भाव उदय हुआ वहां आत्मा को अपनी उद्देश्यपूर्ति संदिग्ध प्रतीत होने लगती है और वह अपने शुद्ध तथा सात्त्विक उद्देश्य से विचलित होने लगता है । बड़े बड़े देशभक्तों के जीवन में भी कभी कभी अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है । श्रीयुत मकुन्दीलालजी वर्म्मा अपनी '**कर्मवीर गान्धी**' नामक पुस्तक में इटली के देशभक्त **मेज़िनी** के आत्मिक अहंकार का वर्णन करते हुये लिखते हैं:—

"इटली के परम देशभक्त मैज़िनी के चित्त में भी जब वे स्वयं निर्वासित दशा में सन् १८३१ ई० में लण्डन प्रवास कर रहे थे, एक समय बैठे बैठे ऐसे ही आत्मदोषारोपण और शंकापूर्ण विचार उत्पन्न हुए थे । जब वे अपने देशहित के कार्य—इटली को स्वतन्त्र प्रजासत्तात्मक राज्य बनाने—में लगे हुए थे तो एक

दिन सहसा उनके हृदय में ये विचार उठने लगेः–" संभव है कि मैं ग़लती में हूं, शायद मेरा विचार केवल भ्रम—स्वप्नमात्र—है । यह शक्य है कि मैं अपनी धुन में हूं। क्या मुझे अपने ही स्वतंत्रता के विचारों का घमंड है। क्या मैं केवल अपने ही विचारों की जीत चाहता हूं और उसके अन्तिम परिणाम की परवाह नहीं करता ?। क्या मैं यह सब अहंकार और महत्त्वाकांक्षा के वशीभूत होकर तो नहीं कर रहा हूं? इत्यादि ।

" जिस दिन मेरे मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न हुई, मैं सहसा अपने को बड़ा अधम अपराधी समझने लगा। " इस बीच सहसा उन्हें उन सब व्यक्तियों की याद आई, जिन्हें महात्मा मेज़िनी ने स्वदेश-सेवा और स्वतन्त्रता के मंत्र की दीक्षा दी थी, जो उनकी उत्तेजना और परामार्श से देश सेवा में बड़े बड़े कष्ट सह रहे थे और जो अपने कार्य-साधन में अपने प्राण भी त्याग चुके थे, इससे उनका चित्त और भी घबड़ाया। इटली की सेवा में जो देशभक्त अपने प्राण अर्पण कर चुके थे उनकी आत्माएँ मानो मूर्ति रूप में उनके सन्मुख आने लगीं। उनकी माताओं के रोदन उनके कानों में गूंजने लगे । मेज़िनी यहां तक अधीर और व्यग्र हो गया कि उस रात्रि को वह अपने कमरे में उन्मत्त मनुष्य की भांति चञ्चल होगया। सारी रात बड़ी व्याकुलता से व्यतीत हुई ।

" सवेरे शयन से उठते ही मैंने अपने चित्त को शान्त पाया। मुझे ऐसा ज्ञात होने लगा कि मानो मैं एक बड़ी दुर्घटना से बचकर इस लोक में आया हूँ।

" पहला विचार जो मेरे चित्त में उठा वह यह थाः—' जो कुछ तुझे यह कष्ट और शंका हुई वह सब तेरे अहंकार (स्वार्थ) का फल है। जीवन की झूठी परिभाषा को त्याग; आंख खोलकर देख त्याग क्या वस्तु है।'

" मैं फिर जीवन की समस्या करने लगा। " इस पर मेज़िनी ने पाश्चात्य और पूर्वीय दर्शनशास्त्र के अनुसार जीवन की आलोचना की और छानबीन कर यह फल निकाला कि–" जीवन कर्ममय है। Life is Mission. हमारा अस्तित्व किसी विशेष उद्देश्य के लिये है Existence is aim. यदि जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं तो संसार की गति क्या? और यह उन्नति कहाँ? गति और उन्नति जीवन के नियम सभी मानते हैं। Movement and Progress all are beginning to recognise as the Law of Life."

पहिला उद्देश्य जीवन का यह है कि सब मानवी शक्तियों का संचार और वृद्धि करना, तथा उनका उचित प्रयोग करना। जीवन का गौण उद्देश्य—जो वास्तव में उसी एक उद्देश्य का साधन है—यह है कि राष्ट्रीयता का संगठन और पुष्टि करना, लोगों का सामाजिक जीवन सुधारना, राजकीय और धार्मिक प्रश्न का समाधान करना ! "

" जीवन कर्ममय है Life is mission. अतएव कर्तव्यपालन उसका मुख्य नियम है। Duty is its highest Law. जीवन अमर है। Life is immortal किन्तु जीवन के विकाश का साधन हमारे हाथ में है। The method and time of evolution throught which it progresess in our own hands.

प्यारे युवक गण ! जब तुम एक बार अपने जीवन का कार्य्य अपने मन में निश्चय कर लो तो फिर कदापि उससे मत हटो। यथाशक्ति अपने उद्देश्य और कार्य को पूरा करो।

एक पोलैंड के कवि ने ठीक कहा है ' अपनी निज की भलाई वा आत्मीय गौरव की परवाह न करो। उनकी सेवा और भलाई करो, जिन्हें ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। अर्थात् जिनकी सेवा शुश्रूषा और रक्षा के लिये तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी के आक्षेप, अत्याचार वा अवहेला की परवाह न करो। जावो और संसार में अपना कार्य करो, तुम्हारे चित्त को कितना ही क्लेश क्यों न हो। तुम्हारी निज कामनाएं निष्फल और निरर्थक क्यों न हों। तुम्हारे आत्मीय तुम्हें धोखा क्यों न दें। ईश्वर से चाहे तुम्हारा विश्वास ही हट जाय, पर अपने काम से न हटो। बिना किसी बात की परवाह करते हुये निरंतर अपने जीवन के कार्य में लगे रहो। ' प्यारे बांधवो ! मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों से पुरुस्कार की कामना लोप हो जाय और तुम इच्छारहित हो अपना काम करो। भविष्य का धर्म यह कहेगा कि ' औरों की आत्माओं की रक्षा करो ओर अपनी ईश्वर के आधीन छोड़ दो। ' Save the soul of others, and leave the care of thine own to God. एक और कवि ने कहा है ' आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ! जावो मृत्यु से न डरो; एक न एक दिन तो तुम सबको मरना ही है। जावो, ऐ मनुष्यो और कष्ट भोगो; क्यों कि तुम दुख भोगने के लिये ही जन्मे हो।"

इस प्रकार जीवन की समस्या करते हुए महात्मा मेज़िनी ने अपने आत्म-दोषारोपण और शंकाओं का समाधान कर कहा ' मैंने अपने चित्त का समाधान स्वयं किया। मैंने किसी अन्य व्यक्ति से कोई सहायता नहीं ली। मैं अपनी उस धार्मिक भावना और बोध की सहायता से सम्हला, जिसकी पुष्टता इतिहास करता है। ईश्वर के विचार से मैं उन्नति के भाव (Conception) पर आया। वहां से मैं कार्य (Mission) और उसके स्वाभाविक परिणाम की ओर आया और कर्तव्य को जीवन का मुख्य सिद्धान्त बनाया। इस अन्तिम विश्वास पर पहुंचने पर मैंने यह शपथ खाई कि अब से फिर कभी किसी भी कारण से मैं अपने कार्य, उद्देश्य और उसके परिणाम अर्थात् अपने जीवनवृत्ति के विषय में शंका नहीं करूंगा। "

महत्मा मेज़िनी के इस उदाहरण से स्पष्ट विदित होता है कि देशसेवा के मार्ग में अग्रसर होने के लिये अहंकार को बिलकुल ही त्याग देना चाहिये। यदि हम भावके घर में चोरी न कर के सच्चा प्रेम करेंगे तो निसन्देह अपनी सजला सुफला भारत माताका उद्धार कर सकेंगे।

अब हम इस पुस्तक के विषय में कुछ निवेदन करना आवश्यक समझते हैं। सन् १९१२ के दिसम्बर में मैं इस देश में आया और सन् १९१३ के सितम्बर में **सत्याग्रह** का सिंहनाद हुआ। इस आत्मिक संग्राम में मैंने भी थोड़ासा भाग लिया था। उसी का अरोचक वर्णन इस क्षुद्र पुस्तक में किया गया है। इस कहानी के कुछ अंश मेरठ के '**भास्कर**' मासिक पत्र में निकले थे, जिसे युवक मित्रों ने बहुत पसन्द किया और कितने ही मित्रों की आज्ञा हुई कि यह कहानी पुस्तकाकार छपा दी जावे। बड़ों की आज्ञा पालन करना सेवक का धर्म ही है, इस विचार से मैं ने इस कहानी को लिखने का साहस किया है। वीतने के बाबू मन्दराज सिंह, हाटिङ्गस्पुट के म. जीवनराम आदि मित्रों की विशेष उत्तेजना से यह पुस्तक शीघ्र लिखकर तैय्यार हो गई। यद्यपि "**धर्म्मवीर**" के सम्पादन से इस समय मुझे अवकाशकी बहुत ही कमी रहती है तो भी 'धर्म्मवीर' के अध्यक्ष श्रयुित आर. ज़ी. भल्ला और प्रबन्धक श्रीयुत महरचन्द की सहृदयता और भ्रातृवात्सल्यता से इस कहानी को लिखने का मुझे अवकाश मिल ही गया; अतएव उक्त मित्रों का मैं अत्यंत ही कृतज्ञ हूं।

इस पुस्तक में मैंने केवल बन्दी घर की कहानी लिखी है। जो महाशय '**सत्याग्रह**' का विस्तृत विवरण पढ़ना चाहें वह मेरा लिखा हुआ "**दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास**" पढ़ने का कष्ट उठावें। यह इतिहास हमारे भाई द्वारिका प्रसादजी द्वारा इन्दौर से प्रकाशित हुआ है; आज यह '**कारावास कहानी**' भाई द्वारिका प्रसादजी की सेवा में समर्पित करते हुये मुझे बड़ाही आनन्द प्राप्त हो रहा है। आशा है कि भाईजी इस क्षुद्र भेंटको स्वीकार कर के मेरे परिश्रम को सफल करेंगे।

दरबन, नेटाल
(दक्षिण आफ्रिका)
चैत्र बदी १ सं. १९७४ वि०

हिन्दी का एक तुच्छ सेवक
भवानी दयाल
हिन्दी आर्य्य आश्रम, क्लेरस्टेट

विषय-सूची



श्रीयुत भवानी दयालजी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगरानी देवीजी
और पुत्र रामदत्त वर्म्मा ।

हमारी कारावास कहानी

विषय प्रवेश

Stone walls do not a prison make,
Not iron bars a cage,
Minds innocent and quite take,
That for hermitage.

पत्थरकी भीतीयोंसे काराभवन न बनता।
लोहेके सींखचोंसे पिंजरा कभी न सजता॥
निर्दोष आत्माको कारा नहीं अखरता।
शान्ति वहीं पे मिलती मन लीन तपमें रहता॥

कारागार आन्दोलन कारियोंका विश्वविद्यालय है, यह बात देश भक्तोंके जीवन से प्रकट होती है। कारागारमें दो प्रकारके अपराधी मिलते हैं। एक तो वह, जो देशके किसी अंशको दासत्व-श्रृंखलासे मुक्त करनेके लिये कारागार को पवित्र करनेके निमित्त जाते हैं और दूसरी श्रेणीके अपराधी अपने कुकर्मोंका प्रायश्चित्त करनेके लिये जेलके महमान बनते हैं। इन दोनों प्रकार के कैदियोंके आचार-विचार और रहन-सहनमें बड़ा अन्तर होता है। कुकर्मका फल भोगनेवाले कैदी अपना सारा समय व्यर्थकी बकवाद, गाली-गुफता और लड़ाई झगड़ेमें खर्च करते हैं। उनके मुखमण्डल पर अपराधकी छाया पड़ जाती है और उनका शरीर निस्तेज, निर्वीर्य और अपराधका पुतला बन जाता है। वे जेलमें भी अपनी दुश्चरित्रताका समय समय पर परिचय देते रहते हैं और उनके

अघोर कर्मसे कारागार भी अपना नाम सार्थक करता है किन्तु जो श्याम जन्मभूमिके प्रेममें उदभ्रान्त-उन्मत्त होकर कारागार में पदार्पण करता है उसके मुखपर तेजकी छटा नज़र आती है और उसके शरीरमें स्फूर्ति, उत्साह और उमङ्गका भाव झलकता रहता है। देशभक्तोंको प्रायः देशके बिलखते हुये दुखी लोगोंकी सेवा के कामसे इतना समय नहीं मिलता कि जिससे वे एकान्त सेवन, देशके उत्कर्षका चिन्तन और चिरस्थायी काम कर सकें। इसी लिये परमात्मा देशभक्तोंको कुछ समयके लिये कारागारमें भेजकर कोई महान् कार्य करनेका अवसर देता है। उदाहरणके लिये देखिये, लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलकने 'ओरियन' और 'भमवद्गीता रहस्य' नामक दो महान् ग्रन्थ जेलही में रचे थे। लाला लाजपतरायने भी निर्वासनके दिनोंमें 'बर्मानिवासियोंका वृत्तान्त' और अपने 'निर्वासनकी कथा' तथा अन्य कई छोटे छोटे निबन्ध कारागारमें ही लिखे थे। अलीपूरके जेलमें महात्मा अरविन्द घोषने कई कवितायें और 'जेलका अनुभव' लिखा था। जान बनयन ने जेलमें ही 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामक बृहद् पुस्तककी रचना की और रेले का 'संसारका इतिहास' भी जेलही में लिखा गया था। इस प्रकारके बहुतसे समुज्ज्वल उदाहरण मिलते हैं। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर आयर्लैंडके प्रसिद्ध देशभक्त मायकल डेविट अपने मित्र 'रिव्यू आव रिव्यूज़' के सम्पादक स्वर्गीय डब्ल्यु० टी० स्टेडसे कहा करते थे कि "**कारागार आन्दोलन कारियोंका विश्वविद्यालय है**।" यह महावाक्य अक्षरशः सत्य है। देशभक्तोंका केवल शरीरही चारों ओरकी दीवारोंके अन्दर बन्द रहता है किन्तु उनका आत्मा स्वतंत्रताके आकाशमें विचरता

रहता है। जब अमेरिकाकी सरकारने कर न भरनेके अपराधमें 'थैरियो' को पकड़ कर जेलमें भेजा तो वह कारागारमें हँसता था और मनही मन कहता था कि "क्या यह लोग समझते हैं कि मैं दीवारोंके अन्दर बन्द करने से क़ैद हो गया हूं"। सचमुच राजनैतिक क़ैदीको कारावासका कष्ट तनिक भी नहीं अखरता और उसका आत्मा विकार-रहित होकर परमात्मचिन्तन में लीन हो जाता है। वह जेल को ही तपोभूमि मानता है और कष्टों तथा आपत्तियोंको तपका एक अङ्ग समझता है। महात्मा अरविन्द घोष कारागारमें योग साधन करते थे जिससे उनकी आत्माका बड़ा कल्याण हुआ। महात्मा गान्धीको जेलमें बड़े बड़े अनुभव हुये थे। जहां साधारण आदमी जेलका नाम सुनकर थरथरा उठता है वहां महात्मा गान्धी कहते हैं कि "जबतक दक्षिण अफ्रिकामें हमारे देशवासियोंके दुःखोंका अन्त न हो जावे तबतक हे कारांगार! तेरी धूल मेरे लिये फूलोंकी सेज है, और जबतक हमारे भाईयोंके पांवसे गुलामीकी बेड़ी न कट जाय तबतक कारागार! तू मेरे लिये स्वर्ग है"। इन घटनाओंपर दृष्टि डालनेसे कविका यह बचन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है कि "पत्थरोंकी दीवारोंसे कारागार नहीं बनता है"। जिसका आत्मा निर्मल, पवित्र और स्वच्छ है वह कारागारमें भी स्वच्छन्दतासे बिचरता है। वह अहंकारको हटाकर यह मान लेता है कि मेरा शरीर मेरा नहीं है किन्तु देशकी सेवा करनेके लिये यह ईश्वरका प्रदान किया हुआ औजार है।

प्रस्तुत विषयका ऐतिहासिक महत्व

जिस समय नेटाल प्रान्त सघन बनसे आच्छादित था, बड़े बड़े सिंहों की गर्जना तथा हाथियों की चिंघंराहटसे निस्तब्ध बन गूंज उठता था। उन घने बनोंमें प्रवेश करनेका किसी विरलेही साहसी को साहस हो सकता था। उस समय ऊखकी हरीभरी खेती, केलोंके रमणीक बगीचे तथा भांति भांतिकी बनस्पतियोंका कहीं नाम तक नहीं था। निदान नेटालको उपजाऊ बनानेके लिये भारतीय मजूरोंकी जरूरत पड़ी, क्योंकि सन् १८२८ में बृटिश सरकारने यहांके हबशियोंको गुलामीसे छुड़ाकर स्वतंत्र कर दिया था और सन् १८३४ में बृटिश साम्राज्यसे ही गुलामीकी प्रथा उठा देनेका कायदा बना और चार वर्ष तक स्वाधीनताकी शिक्षा देकर सन् १८३८ में समस्त गुलाम स्वतंत्र कर दिये गये थे। सन् १८९६ में नेटाल प्रान्त केपकलोनीसे अलग किया गया। नेटालके गोरोंने देखा कि यहां गन्ना, चाय, अरारोट आदि चीजोंकी खेती हो सकती है किन्तु मजूरोंके अभावसे उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। यहांके हबशी भी गोरोंकी अत्याचारप्रियतासे परिचित हो गये थे, इस लिये वे इनके खेतोंमें काम करना पसन्द नहीं करते थे। इस लिये यहांके गोरोंकी तीब्र दृष्टि भारतके परिश्रमी मजूरोंपर पड़ी और इन्होंने भारतीय मजूरोंसे लाभ उठाना चाहा। इस विषय पर नेटाल और भारत सरकारसे लिखा पढ़ी होने लगी और साम्राज्य सरकारके जोर देनेपर भारत सरकारको नेटालके लिये मजूर भेजने के लिये बाध्य होना पड़ा।

सन् १८६० की १६ वीं नवम्बरको नेटालमें भारतवासियोंका पहिला आगमन हुआ, तबसे भारतवासी शर्तबन्धी मजूरीका पट्टा लिखाकर इस देशमें आने लगे। इस देशमें भारतवासियोंको स्वाभाविक वृद्धि और प्रतिष्ठा लाभ करते देखकर गोरों की छाती फटने लगी और सन् १८९५ में यह कायदा बना दिया गया कि अबसे जो भारतवासी शर्तबन्दीका पट्टा लिखाकर इस देशमें आवें, वे मियाद पूरी होने पर स्वदेशको लौट जावें। यदि यहांपर बसना चाहें तो सालाना तीन पौन्डका टेक्स देना पड़ेगा। नेटालमें पहिले भारतवासियोंको पार्लीमेन्टरी वोट देनेका अधिकार था किन्तु सन् १८९६ के कायदेकी ८ वीं धाराके अनुसार यह अधिकार भी भारतीय प्रजासे छीन लिया गया। सन् १८९७ में नेटालकी पार्लीमेन्टने यह कायदा बनाया कि भविष्यमें कोई भी स्वतंत्र भारतवासी इस देशमें पांव भी न रखने पावे। ट्रांसवालमें भारतवासियोंके साथ वहांकी बोर सरकार जो पाशविक अत्याचार करती थी उसका वर्णन करना किसी सहृदय लेखकके लिये सम्भव नहीं है। कहा जाता है कि भारतवासियोंका दुःख दूर करनेके लिये ही अंग्रेजोंने बोरोंके साथ संग्राम किया—किन्तु यह केवल प्रलाप मात्र है। ट्रांसवालमें अंग्रेजोंका राज्य हो जानेपर भारतवासियोंकी कठिनाईयों में और भी अधिकाई होने लगी। ट्रांसवालमें, सन् १९०७ में, एशियावासियोंके लिये एक विशेष कानूनकी रचना की गई और सन् १९०८ में 'एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अमेन्डमेन्ट एक्ट' अमलमें आया। इस कानूनका आशय यह था कि प्रत्येक एशिया-

बासीको अपने नामको सरकारी रजिस्टरमें दर्ज कराना पड़ेगा और साथही दसों अंगुलीयोंकी अलग अलग, तथा चार चार अंगुलीकी फिर एक साथ, कुल अठारह अंगुलीकी छाप देनी होगी । इस कायदेमें भारतवासियोंके लिये खुले तौर पर ' कुली ' शब्दका प्रयोग किया गया । इन अत्याचारोंका सामना करनेके लिये भारतवासियोंने ' **सत्याग्रह** ' की लड़ाई चलाई । हजारों भारतवासी भारतमाताकी प्रतिष्ठाके लिये जेलकी यातनायें सहने लगे । खूब ज़ोर शोरसे लड़ाई होने लगी, वलायत डेपुटेशन भेजा गया और पार्लीमेन्ट तक भारतवासियोंके कष्टोंकी आवाज़ पहुंचाई गई किन्तु फल कुछ न हुआ और सन् १९११ में इस शर्तपर कच्ची सन्धि हुई कि भारतवासियोंका चालू हक़ क़ायम रहे । सन् १९१२ में माननीय मि. **गोपाल कृष्ण गोखले** यहां पधारे; दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारने उन्हे बचन दिया कि पार्लीमेन्टकी अगामी बैठकमें तीन पौन्डका टेक्स रद्द कर दिया जायगा । माननीय मि० गोखले के प्रयत्नसे सन् १९११ में नेटालके लिये भारतीय मजूरोंका आना बन्द हो गया था, इस लिये यहांके भारतवासियोंको पूर्ण भरोसा हो गया कि माननीय मि० गोखलेके प्रयत्न से यहां की सरकार अब हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी ।

प्रतिज्ञा भङ्ग

सन् १९१३ का साल दक्षिण आफ्रिका प्रवासी भारतवासियों के हृदय–पट पर सदा के लिये अंकित रहेगा । केपटौन में पार्लीमेन्टका अधिवेशन आरम्भ हुआ, भारतवासियोंको पूरा विश्वास था कि इस बार की पार्लीमेन्ट में हम लोगोंकी दुर्दशा का अन्त हो जायगा किन्तु भारतवासियों की, यह आशा केवल ख्याली पुलाव निकली। यूनियन पार्लीमेन्ट ने तीन पौन्ड के टेक्स को ज्योंका त्यों बहाल रख्खा। इसके अतिरिक्त और भी कई अपमान सूचक क़ानून गढ़े गये; जैसे पहिले दक्षिण अफ्रिका के किसी भी प्रान्तमें जन्मे हुये भारतवासीको केपकालोनी में जाने का अधिकार था किन्तु नवीन क़ायदे के अनुसार यह हक़ उनसे छीन लिया गया; फ्रीस्टेट में जानेके लिये गुलामी का पट्टा लिखाना आवश्यक और अनिवार्य कर दिया गया; भारतीय धर्मों के अनुसार किये हुये विवाहों को नाजायज़ बनाने के लिये एक विचित्र क़ायदेकी रचना की गई; इस क़ानून का आशय यह था कि भारतीय रीत्यनुसार किये हुये विवाह क़ानून से नजायज़ हैं, या तो भारतवासी क्रिश्चियन मतानुसार अपने विवाहोंको अदालतमें रजिस्टर्ड करावें अन्यथा उनकी स्त्रियां रखेली और उनकी सन्तान दोगली समझी जायगी । क्या ही अनोखा क़ानून है ? क्या इसके जोड़का क़ानून संसार में और भी कहीं मिल सकता है ? दक्षिण अफ्रिका के जिन अधिकारियों ने अपने

विचित्र मस्तिष्क से यह क़ानून निकाला था, वे सभ्य संसार के इतिहास में कैसे समझे जांयगे ? *

जब यह क़ायदा बनाकर अमलमें लाया गया तो यहांका भारतीय लोकमत एकदम सन्तप्त और क्षुब्ध हो उठा। आज बाज़ारका दिन है, जहां भारतवासियों के कण्ठ की कलकल ध्वनि से बाज़ार गूंज उठता था, वहां आज घोर निस्तब्धता छाई हुई है।

आज भारतवासी बाज़ार में नहीं गये क्योंकि उनके ऊपर राष्ट्रीय विपद् की काली घटा घिर आई है। घर घर यहां चर्चा हो रही है कि अब क्या करना चाहिये ? हाट—बाट, गली–कूंचे में, जहां देखो, वहीं दस मनुष्य बैठकर दस तरह की बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय विपद् के समय मनुष्य को तरह तरह की बातें सूझ पड़ती हैं। कोई कहता है कि देखो, ट्रांसवाल सरकारने माननीय मि० गोखले से भारतवासियों के दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा करके उसको भङ्ग कर दिया तो फिर हम लोगोंकी क्या बिसात है ? कोई कहता है कि ट्रांसवाल सरकार से हम लोग लड़ते लड़ते मर गये, रोज़गार—धंदा मिट्टी में मिल गया, हमारे देश की कोमलाङ्गी स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चे मुट्ठी भर अनाज के लिये इधर उधर भटकते फिरे और आज हमारी स्त्रियां ट्रांसवाल की सड़कों पर मारी मारी फिरती हैं, अब हम ट्रांसवाल की सरकार के साथ लड़ने में सर्वथा

* इन क़ानूनों का पूरा वर्णन मेरे बनाये हुये 'दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास' में हो चुका है, इस लिये उसी बातको यहां दोहराना उचित नहीं प्रतीत हुआ। लेखक—

असमर्थ हैं । कोई कहता है कि भाई! बस अब हद हो चुकी, सरकार का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि हम लोग किसी तरह ट्रांसवाल को ख़ाली कर दें, इस लिये अच्छा यही होगा कि हम लोग इज्ज़त—आबरू के साथ इस देश से निकल जावें। किन्हीं किन्हीं कायरों के मुँह से यह भी उद्गार निकलते हैं कि अरे भैय्या! सरकार के साथ लड़ने की भला किसकी मजल है? सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना मानो अपने को अंगार में झोंकना है, सरकार का हम लोग कुछ नहीं कर सकते।" सारांश यह कि जितने मुँह उतनी बातें।

पहिले भारतवासियोंने व्यवस्थित आन्दोलन करना आरम्भ किया, ट्रांसवाल और नेटाल प्रान्त में बड़ी बड़ी सभायें होने लगीं और इस क़ायदेके प्रतिवादसूचक प्रस्तावों के ढ़ेर सरकारके पास पहुंचने लगे किन्तु इन प्रस्तावों ने सरकार की रद्दी की टोकरी की शोभा बढाने के सिवाय और कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। **महात्मा गान्धी** सरीखे प्रतिष्ठित नेताकी सलाहकी भी अवहेलना की गई जिससे भारतीय लोकमत एकदम चिढ़ उठा; इस अनुचित क़ानूनके प्रचलित होते ही समस्त भारतवासियों का हृदय कांप उठा; उनमें एक तरहकी विलक्षण स्वाभाविक शक्तिका प्रादुर्भाव हो गया। आज तक जो लोग सोये पड़े थे, उनमें प्राकृतिक चेतना की ज्योति फिरसे जगमगाने लगी। जो लोग केवल गुलामी करनेका यन्त्र समझे जाते थे, वे अब हार्दिक स्फूर्तिसे एकदम जाग उठे और अपने हित—अपने देशके हित—के लिये, खुद अपने ही

बलपर, किसी दूसरे की सहायताकी अपेक्षा न करते हुये, बद्ध-परिकर हो गये। जब भारतवासियोंने देखा कि, भीख मांगनेकी पद्धतिसे कुछ लाभ नहीं होता, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोगोंको अपनी लड़ाई आप लड़नी चाहिये। इस लिये भारतवासियोंने '**सत्याग्रह**' के प्रयोग की अटल प्रतिज्ञा की। थोड़े ही समयमें सत्याग्रहका जोश सारे देशमें फैल गया।

सत्याग्रहका महत्व *

विद्वानोंको चाहिये कि राजा और प्रजाको धर्म्म और अर्थकी सिद्धिके लिये सदा नीतिकी शिक्षा देवें, जिससे यह किसीको पीड़ा देने रूप राजनीतिसे विरुद्ध कर्म न करें। दुष्टोंसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये ही राजा होता है। राज्यकी रक्षाके बिना किसी चेष्टावान् मनुष्यकी कार्यमें निर्विघ्न प्रवृति कभी नहीं हो सकती और न प्रजाजनोंके अनुकूल हुये बिना राजपुरुषोंकी स्थिरता होती है। यदि राजा अन्यायाचरण करे तो प्रजागण धर्म्मकी रक्षाके लिये उसका विरोध अवश्य करें।

—वेद

ब्रह्माने देवोंके शत्रुओंको पदाक्रान्त किया तब देवगण समझ बैठे कि हमने अपने पराक्रमसे ही शत्रुओंको जीता है।

---

* 'सत्याग्रह' की विस्तृत व्याख्या मैंने स्वरचित "दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास" तथा "सत्याग्रही महात्मा गान्धी" नामक पुस्तकोंमें कर दी है; इस लिये यहां पर केवल धर्मग्रन्थों तथा विद्वानोंके मतोंका संग्रह कर दिया गया है। —लेखक।

इसलिये उन्हें ब्रह्माका बल स्मरण भी न रहा । देवगण दरबार भरके बैठे थे । इन्द्र अपनी मेघगर्जनाके लिये; अग्नि, वरुण तथा अन्य देवगण अपने अपने पराक्रमोंके लिये अभिनन्दन पा रहे थे । उसी समय एक विचित्र आकृति का मनुष्य उस सभा में आकर उपस्थित हुआ । देवगण उस पुरुष को देख रहे थे किन्तु उसे पहिचान नहीं सकते थे । यह विचित्र आकृति क्या है, यह जानने के लिये देवताओंने अग्निको दूत बनाकर भेजा । अग्निने उस शक्तिके पास जाकर पूंछा कि तुम कौन हो ? उस शक्तिने इसका उत्तर न देकर कहा कि क्या तुम अग्नि हो ? तुम क्या कर सकते हो ? अग्निने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी और आकाशकी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर सकता हूं । उस शक्तिने एक छोटासा तृण लेकर सामने रखा और कहा कि इसको जलाओ ! अग्निने अपनी सारी ताक़त उसके जलाने में लगा दी, लेकिन वह तृण नहीं जला । इसके पश्चात् जल और वायु आये, उनके आगे भी उस विचित्र शक्तिने वही तृण रखा और बहाने तथा उड़ाने के लिये कहा । जल और वायुने अपनी सम्पूर्ण शक्तिका उपयोग कर देखा, किन्तु उस तृण को बहा तथा उड़ा न सके । अन्तमें इन्द्र आये, तब वह शक्ति अन्तर्ध्यान हो गई और उसके स्थान पर एक भिन्न दैवी शक्ति प्रकट हुई, उसने इन्द्रसे कहा कि इसी 'सत्याग्रह' रूपी शक्तिसे तुमने असुरोंको जीता है किन्तु अब तुम 'सत्याग्रह' को भूल गये हो ।

—उपनिषद्

आत्मा अजर, अमर, अभय और नित्य है। आत्मा को जो हनन करनेवाला मानता है और जो इसको मर जानेवाला समझता है वह दोनों अज्ञानी हैं। जैसे पुरुष जीर्ण वस्त्रको त्याग कर नवीन वस्त्रको धारण करता है उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करता है। इस जीवात्मा को हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती; जीवात्मा नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होता।

—भगवद्गीता

मैं तुझसे कहता हूं कि बुरेका सामना मत कर; जो कोई तेरे दहिने गालपर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जो तुझपर नालिश कर के तेरा अंगालेना चाहे उसको दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे आध कोस बेगारी ले जाय उसके साथ कोस भर चला जा। जो तुझसे मांगे उस को दे। तूने सुना है कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी को प्यार कर और अपने दुश्मनसे बैर कर; किन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों को प्यार करो; जो तुम्हें श्राप देवें उनको आशीश दो। जो तुमसे बैर करें उनसे भलाई करो और जो तुम्हारा अपमान करें अथवा सतावें उनके लिये प्रार्थना करो।

—बायबिल

मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्वात्मवत् अन्योंके सुख-दुःख और हानि-लाभ को समझे। अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किन्तु अपनी सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की—चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित ही क्यों न हों—उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण; और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हों तथापि उनका नाश, अवनति, और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसे कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें, परन्तु इस मनुष्यपणरूपी धर्म्मसे पृथक् कभी न होवे।

—सत्यार्थ प्रकाश

जिस समय एक बार भली भांति विचार कर तुम अपनी आत्मा के सामने अपने जीवन के उद्देश्य को दृढ़ कर लो, फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें उस उद्देश्यकी ओर जाने से न हटा सके। तुम अपनी सम्पूर्ण शक्ति को उस उद्देश्य के पूरा करने में लगा दो। संसार के लोग तुमसे चाहे प्रेम करें और चाहे घृणा! तुम अपने उद्देश्य को पूरा करो। अन्य लोग चाहे तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी शक्ति को बढ़ावें और चाहे तुम अकेले ही रह जाओ; इन बातों की तुम्हें कुछ भी परवाह न होनी चाहिये।

अपने विचारों के शहीदों को प्रायः इस शोकमय एकान्तमें ही दिन बिताने पड़ते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारा सत्यपथ स्पष्ट है। यदि तुम कष्टों—आपत्तियों के होते हुये भी अन्ततक अपने पथपर सुदृढ़ न रहे तो तुम कायरताके साथ स्वयम् अपने भविष्यके घातक बनोगे।

—महापुरुष जोज़फ़ मेज़िनी

कर्मयोगी चाहे और किसी सिद्धान्तको न माने, उसका चाहे ईश्वर पर भी विश्वास न हो, वह सांख्य और वेदान्तके गूढ़ रहस्योंको भी चाहे न जानता हो, पर उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह स्वार्थत्यागका अभ्यास करता हुआ अपनी अहंताको बिलकुल मिटा दे। उसका जीवन दूसरोंके लिये होना चाहिये, न कि अपने लिये। जो दूसरोंके लिये आप मिट सकता है, चाहे वह किसी सिद्धान्त अथवा मतका अनुयायी हो वह ही सच्चा 'सत्याग्रही' है।

—स्वामी विवेकानन्द

भयानक फ़ौलाद हमारी आंखोंके सामने चमचमाती है, दुःख दारिद्र्य इस पथ पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किन्तु परमात्मा आज्ञा देता है कि "आगे बढ़े चलो, बिना विश्राम किये आगे बढ़े चलो" किन्तु हे परमात्मा! हम किधर जावें? उत्तर मिलता है कि "जिनको मरना है, वे जावें और मरें, जिनको कष्ट सहन करने हैं वे जावें और कष्ट सहें।"

—महाकवि स्कार्गा

चाहे सूर्य्य प्राकृतिक नियमके प्रतिकूल पश्चिम दिशामें भले ही उदय हो जाय, चाहे स्थायी मेरु पर्वत चलने लगे, चाहे अग्नि अपना धर्म छोड़कर शीतल हो जावे और चाहे पद्म पत्थरोंमें उग पड़ें, किन्तु सत्याग्रही पुरुष अपने कर्तव्य पर अटल रहते हैं।

—महाकवि श्रीहर्ष

चाहे कोई निन्दा करे चाहे स्तुति। चाहे लक्ष्मी रहे चाहे चली जावे। चाहे आज मरें चाहे कुछ कालके बाद, किन्तु न्याय और सत्यपथसे कभी विचलित न होवें।

—महाराज भर्तृहरि

राजाकी ईश्वरीय-सत्ताका ख्याल क्रिश्चियन, बौद्ध और वैदिक धर्म्मके माननेवालोंमें क्रमशः मन्द होता जाता है। आजकल किसी राजाकी ख़ास ईश्वरीय सत्ता है, ऐसा मनवानेके लिये प्रजापर अत्याचार नहीं हो सकता। लोग दिन पर दिन समझते जाते हैं कि किसी भी एक व्यक्तिको दूसरेके उपर अत्याचार करनेका कोई अधिकार नहीं है। जो लोग भयसे किम्वा लोभसे दासताका पक्ष समर्थन करते हैं वे नीति और धर्मके मूल सिद्धान्त पर कुठाराघात करते हैं। सत्याग्रह जीवनयात्राका एक प्रधान अवलम्ब है।

—महात्मा टालस्टाय

यद्यपि न्यायाधीशने मुझे अपराधी सिद्ध किया है किन्तु मेरा आत्मा मुझको पूर्णरुपसे निर्दोष बतला रहा है। ईश्वरका ऐसा मनोगत सङ्केत दिखाई पड़ता है कि मैंने जिस देश हित

कार्यके लिये सत्याग्रह अङ्गीकार किया है, वह मेरे दुःख और सङ्कटसेही अधिक वृद्धिको प्राप्त होगा।

—लोकमान्य तिलक

देशोद्धारके कार्य्यमें हम लोगोंको जिन विघ्नोंका सामना करना पड़ेगा उनको हमें अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये। यहां भी हमारी समझमें बाहरी विघ्नोंकी अपेक्षा भीतरी विघ्न अधिक प्रबल होंगे। हमारे शासक दो बातोंमेंसे एक करेंगे, या तो हमें त्रास दिखलायेंगे या लोकाराधन करेंगे। उनकी इष्टसिद्धिके लिये त्रासकी अपेक्षा लोकाराधन अधिक उपयोगी होगा। जो लोग त्रासका प्रयोग करते हैं उन्हींके ऊपर त्रास लौटकर गिरता है। यूरोपके उग्रसाहसी लोग कहा करते हैं कि अधिकारी लोग प्राण लेते हैं तो उनको भी प्राण देने पड़ते हैं और देशके लिये जो प्राण देता है उसकी क़ब्रके पत्थरके उपर जो बर्छा घिसा जाता है उसके समान भयानक काम करनेवाला कोई हथियार नहीं होता।

—लाला लाजपत राय

याद रहे कि अपने देशके उद्धारके लिये तुम ईश्वरका औज़ार हो; तुमको अपने जीवनसे सिद्ध करना चाहिये कि तुम अपने देशोद्धारके एक उपादान कारण हो। क्या तुम्हारे चित्तमें यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि तुम केवल ईश्वरीय कार्य्यके उपादान कारण हो और तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है? तुम परमात्माके कार्यके लिये आत्माके रूपमें सृजे गये हो। क्या तुम्हारे

ध्यानमें यह बात आ गई है? यदि ध्यानमें आ गई है तो तुम सच्चे सत्याग्रही हो और तुम तब ही इस पुरातन जाति का उद्धार कर सकोगे। तुम भारतकी बुझति हुई ज्योतिकी रक्षा करने के लिये ईश्वरीय यन्त्र हो। सत्याग्रही वे हैं जो कि अपने विश्वासके लिये दुःख झेलने वा शहीद होनेको तैय्यार हैं। ऐसे मनुष्योंको सामर्थ्यकी आवश्यकता नहीं, न यही आवश्यक है कि ऐसी जातिमें शारीरिक बल अधिक हो, किन्तु आत्मिक बलके सहारे सब काम हो सकता है। तुम्हारे सामने सरकारी क़ानूनका पहाड़ खड़ा है उसका मुक़ाबला करनेके लिये तुमको सीधा कारागारमें जाना होगा। इस मार्गका अवलम्बन करते ही तुमको कुचल डालनेका प्रयत्न किया जायगा, किन्तु यदि तुम 'सत्याग्रह' पर आरूढ़ रहोगे तो अन्तमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी।

—महात्मा अरविन्द घोष

जैसे ईश्वर स्वतंत्र है वैसे मनुष्य भी स्वतंत्र है। फिर चाहे वह राजा हो अथवा निर्धन किसान, ब्राह्मण हो वा चमार, पुरुष हो वा स्त्री, ग़रीब हो वा साहूकार, मूर्ख हो वा पंडित, हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, कृश्चियन चाहे जो हो वह शाश्वत और स्वतंत्र है। यह सत्य तुम नहीं जान सकते; क्योंकि तुम अज्ञानतामें डूबे हुये हो। तुम इस सत्यका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि अद्यावधि स्वतंत्रता तुम लोगोंकी सामाजिक वा आर्थिक स्थितिमें प्रचलित नहीं हुई है। राजकीय जीवनमें इस स्वतंत्रताका उपयोग नहीं होता

इस लिये तुम उसकी सत्यताको नहीं जान सकते। स्वतंत्रता अर्थात् छूटापन—हकोंसे छूटापन नहीं, किन्तु अपने हकोंपर अधिकार कहा जायगा। स्वतंत्रता अर्थात् नियम करनेकी त्रुटि नहीं, किन्तु अपने राष्ट्रको नियमित रखना; निश्चयकी दृढ़ताही स्वतंत्रता है। हमको अपने इतिहासमें श्रद्धा है, अपनी बुद्धि परही हमारी श्रद्धा है। इसी श्रद्धाको लेकर हम लोग आज अलग होते हैं, कल फिर एकत्र होंगे। आज निर्बल हैं, किन्तु कल बलवान् होंगे। आज हम लोग आत्मभोग देनेमें असमर्थ हैं, किन्तु कल वह देनेके लिये शक्तिमान् होंगे। मैं आप लोगोंसे ईश्वरके नाम पर, आप लोगोंके राष्ट्रके नाम पर, आप लोगोंकी भावी स्वतंत्रताके नामपर और आप लोगोंकी बड़ीसे बड़ी राष्ट्रीय योग्यता सम्पादन करनेके नामपर प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां आप जावें वहां वहां 'सत्याग्रह' का प्रचार करें। इस सत्याग्रहसे सारे देशमें आगसी लग जावे। वह आग नहीं जो नाश और मृत्यु को लाती है, प्रत्युत वह जो अपने साथ स्वदेशाभिमान, स्वदेशसेवा और स्वदेशोन्नतिको लेकर आती है।

—बाबू विपिनचन्द्र पाल

जब मैं नेटालमें अपने देशवासियोंकी दशा सुधारनेका उद्योग करने लगा तब मुझे 'सत्याग्रह' का प्रयोग करनेकी सूझी। मैंने सोचा कि यदि हमारी पुकार नहीं सुनी गई और रोने पीटनेसे कुछ काम न बना तो सत्याग्रहसे ही काम लेना होगा, किन्तु उस समय प्रवासी भारतवासियोंमें संगठनशक्तिका अभाव होनेके कारण सत्याग्रह का अवलम्ब करना असाध्य था। यहां जोहांसबर्ग (ट्रांसवाल) में

अब हमारे लोगोंके दिल इतने बिगड़ गये कि उन्हें यह नये क़ानून असह्य प्रतीत होने लगे, जिसके कारण उनमें एक उत्साह आ जानेसे वे सब संगठित होकर इन अन्यायपूर्ण क़ानूनोंका विरोध करनेपर कटिबद्ध हुये। यह समय मुझे बड़ा अनुकूल जान पड़ा। लोग कुछ न कुछ अवश्यही करते। मैंने इस उपनिवेशके लिये यह उचित समझा कि लोग बग़ावत करनेके बदले शान्तिसे क़ानूनका मानना अस्वीकार करें तो यह सत्याग्रहही ठीक होगा। यहांकी पार्लीमेन्टमें हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती। हमारी अपनी दुर्दशापर रोने चिल्लाने पर भी कोई ध्यान नहीं देता। हम लोगोंने एक सभामें यह निश्चय किया कि ट्रांसवाल सरकारके नये क़ानून हम कदापि नहीं मानेंगे और उनके न माननेमें हमें जो जो कष्ट भोगने पड़ेंगे उन्हे प्रसन्नतापूर्वक सहन करेंगे।

—सत्याग्रही महात्मा गांधी

सत्याग्रहका आरंभ

जिस समय यह सर्वथा निश्चय हो गया कि इन पाशविक कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया जायगा और दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह के प्रवर्तक महात्मा गान्धी अपना अमोघ अस्त्र लेकर सत्याग्रह के संचालन के लिये अग्रसर हो गये तब एक दिन महात्मा गान्धी की धर्म्मपत्नी **श्रीमती कस्तूरी बाईजी** ने उनसे कहा कि "अब मैं तुम्हारी कायदे के अनुसार पत्नी नहीं, हमारे बच्चे हमारे वारिस नहीं, ऐसे कानूनकी छाया में रहकर क्या होगा? चलो स्वदेश को लोट चलें" किन्तु महात्मा गान्धीने कहा कि "ऐसा करना कायरोंका काम है। हम तो भाग जावेंगे, किन्तु हमारे अन्य भाईयों की क्या दशा होगी, वे कहां जायंगे और क्या करेंगे? हम लोग यहीं रहेंगे, लड़ेंगे, जेल जायंगे और जान देंगे। यह प्रश्न हमारा तुम्हारा नहीं है, यह जननी जन्मभूमिका अपमान है। भारत माता को कलुषित न होने देंगे, उसका मुख उज्वल करनेको हम रहेंगे।" इस बात को सुनकर श्रीमती गान्धी का कोमल और सरल हृदय दुःख से कांप उठा। उनकी पवित्र आंखों में आंसू भर आये और उन्होंने एक लम्बी सांस खींचकर कहा कि "धन्य हो नाथ! इस संकल्पकी सिद्धिके लिये परमात्मा आपको बल प्रदान करे। मैं अबला हूं और मातृभूमि की एक पुत्री हूं। आज्ञा दीजिये कि इस बार मैं भी जेल चलूं।"

गान्धी—प्रिय! यह तुम्हारे उपयुक्त ही है, किन्तु तुम कमजोर हो, कोमलाङ्गी हो, जेलका दुसह दुःख तुमसे सहन न होगा।

कस्तूरी बाई—ढिठाई क्षमा कीजिये। मैं स्त्री हूं सही, किन्तु मुझ में आर्य ललनाओं का रक्त सञ्चारित हो रहा है। मैं उस भारतमाताकी पुत्री हूं जिसकी बेटियें घोड़ेकी पीठ पर सवार होकर पतिके साथ रणक्षेत्रमें जाया करती थीं। नाथ! आज्ञा दीजिये कि मैं अपने भाईयों, बहनों और बच्चों के मानके लिये कष्ट सहकर इस नारी तनको सफल करूं। सुना है कि एक स्त्री (द्रौपदी) की लाजके लिये **श्रीकृष्ण भगवान्** आसन छोड़कर दौड़े थे, यहां हज़ारों बहिनोंकी लज्जा जाती है।

गान्धी—प्रिय! तुमसी स्त्रीको पाकर मैं अपनेको बड़ा भागी समझता हूं। तुम्हारी पवित्र कामनाको रोकनेमें हम असमर्थ हैं। तुम प्रसन्नताके साथ जेल जाकर भारत माताकी कीर्तिको बढ़ाओ।

निदान पतिकी आज्ञा पाकर श्रीमती गान्धीने अन्य तीन स्त्रीयों तथा बारह पुरुषोंके साथ ट्रांसवालकी जेलको पवित्र किया। जब यह समाचार बिजलीकी तरह चारों तरफ फैला तो भारतीय महिलाओंमें राष्ट्रीय उमङ्ग उमड़ आई। उनके ओठ फड़कने लगे, आंखें लाल-लाल हो गईं और शरीरमें वीररसका सञ्चार हो आया। वीर नारियोंने इस आन्दोलनमें आत्मसमर्पण करनेका निश्चय कर लिया। जिस राष्ट्रकी स्त्रियोंको आलसी, कर्महीन और निरुद्यमीके नामसे पुकारा जाता था, जिस राष्ट्रकी महिलाओंके भोजन बनाने और बालक जननेमें ही कर्तव्यकी इतिश्री समझी जाती थी और जिस राष्ट्रकी देवियोंको दुनिया कायर, भीरु, पिंजरेका पक्षी आदि विशेषणोंसे विभूषित करती थी; उसी राष्ट्रकी

देवियोंने इस राष्ट्रीय संग्राममें पुरुषोंकी बराबर भाग लेनेका दृढ़ संकल्प किया। भारतीय रमणियोंने दुनियाको बतला देना चाहा कि हमें जैसा तुम समझते हो, वास्तव में हम वैसी नहीं हैं। हमारे शरीर में सीता और गार्गी का खून मौजूद है और हम दुनिया में भारी से भारी काम करने की शक्ति रखती हैं। राजनैतिक, धार्मिक और समाजिक क्षेत्रमें पुरुषोंके समान हमारा भी अधिकार है। राष्ट्रीय संग्राम हमारे लिये महान् यज्ञ है और इस यज्ञमें अपने प्राणोंकी आहुति देना हमारा परम कर्तव्य है।

इस आन्दोलन की सफलता पर उसी समय पूर्ण विश्वास हो गया जिस समय सत्याग्रही वीराङ्गना श्रीमती गान्धी ने अपने पद-सरोजसे दक्षिण अफ्रिकाके कारागारको पवित्र किया। निदान अगले लेखसे हम अपनी रामकहानी आरम्भ करते हैं।

जगरानी देवीका प्रस्थान

ता० २९ सितम्बर सन् १९१३ ईस्वी के प्रातःकाल सूर्य्य भगवान् के उदय होने पर संसार का अन्धकार दूर हुआ, उषाकी अरुण प्रभासे प्रकृतिदेवी खिल उठी और मानव हृदय में अपूर्व उत्साह का अविर्भाव हो आया। किन्तु हमारे मुँह-पर आज उदासी की घनघोर घटा उमड़ आई है। मैं अपने घर में कुर्सी पर बैठा अपने कर्तव्य का निश्चय कर रहा था, मेरे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। इतने में मेरी धर्म्मपत्नी (जगरानी देवी) मेरे निकट आकर नम्रता के साथ पूंछने लगी

कि "आज आप किस बातकी उधड़े बुनमें लगे हुये हैं? उठिये, कुछ जलपान कर लीजिये।" मैंने उत्तर दिया कि "इस देश में सत्याग्रहका आरम्भ हो गया है और श्रीमती गान्धी आदि देवियां भारतवासियों के कल्याण के लिये कारागारमें पहुंच चुकी हैं; अतएव मैं भी अपने कर्तव्यका निश्चय कर रहा हूं। मैंनें सत्याग्रह में शामिल होने का तो पूर्ण निश्चय कर ही लिया है किन्तु इस समय यह सोच रहा हूं कि न जाने कबतक के लिये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। प्यारे शिशु से अलग होना पड़ेगा और भाई देवी दयाल का वियोग सहना पड़ेगा। हम लोगों को इस देश में आये केवल ९ मास हुये हैं, तुम्हें अभी यहां का कुछ भी अनुभव नहीं है और भाई देवी दयाल भी यहांकी रीति–नीति से बिलकुल अनजान हैं। तुम लोगों को निराधार छोड़कर जाने में मुझे कुछ संशय मालूम पड़ता है और इस संग्राम में भाग न लेना मेरे लिये बड़ी लज्जाकी बात होगी।"

जगरानी—"आप मेरे लिये ज़रा भी चिन्ता मत कीजिये। मैंनें भी इस पवित्र सत्याग्रह में सम्मिलित होनेका शुभ संकल्प कर लिया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी आप के साथ चलूं। आप कैद में जाकर पत्थर की गिट्टियां फोड़ेंगे तो भला मैं घर में रहकर क्या करूंगी?

मैं—मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है। यदि तुम सत्याग्रह में योग देने के लिये प्रस्तुत हो तो इस विषय पर महात्मा गान्धीजी की सम्मति लेने की आवश्यकता है; क्योंकि वे ही इस

आन्दोलन के प्रधान नेता और सञ्चालक हैं। मैं कल तुम्हें उनकी सेवा में उपस्थित करूंगा।

ता० ३० सितम्बर को जगरानीजी मेरे साथ जर्मिस्टन से जोहांसबर्ग गईं और वहां महात्मा गान्धी के चरणारविन्द को स्पर्श करके उन्होंने 'बन्दे मातरम्' कहा। महात्माजीने सरल स्वभाव से कुशल क्षेम के अनन्तर पूंछा कि क्या तुम्हारी जेल जाने की इच्छा है?

जगरानी—प्रसन्नतापूर्वक! आपकी आज्ञा के लिये आई हूं।

महात्मा गान्धी—देखो, जेलमें सुन्दर वस्त्र पहिनने को नहीं मिलेंगे। कड़े से कड़ा काम करना पड़ेगा। काफ़िरों का भोजन 'मीली' और 'पूपू' खाने को मिलेगा। फिर तुम किस लिये इतनी यातनायें सहना चाहती हो?

जगरानी—महात्मन्! जेल के मोटे वस्त्र को मैं रेशम और मख़मल समझ कर पहिनूंगी। 'मीली' और 'पूपू' मेरे लिये मोहन भोग होगा। कड़े से कड़ा काम मैं प्रसन्नता पूर्वक करूंगी। जिससे भारत माता की शुद्ध और पवित्र कन्यायें रखेली समझी जावें, ऐसे अपमान सूचक क़ानून की विद्यमानता में हमको सुख कहां? इसके विरोध में चाहे जितना दुःख और कष्ट मुझे सहना पड़े उसे मैं सहर्ष सहने को तैय्यार हूं।

महात्मा गान्धी—बेटी! तुम प्रसन्नतापूर्वक जेल जाकर भारत माता के गौरव को बढ़ाओ।

महात्मा गान्धी से बिदा होकर जगरानीजी तामिल बेनिफ़िट

सोसायटी के सभापति श्रीयुत थम्बी नायडू के मकान पर गईं, वहां श्रीमती थम्बी नायडू, श्रीमती पी० के० नायडू, कुमारी बायकम आदि १० मद्रासी महिलायें सत्याग्रह के संग्राम में जाने के लिये तैय्यार हो चुकी थीं। जगरानी को इन वीराङ्गनाओं का साथ मिल जाने से अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्रीयुत थम्बी नायडू के घर पर इन महिलाओं को एक प्रीति भोज दिया गया।

जोहांसबर्गसे इन सत्याग्रही वीराङ्गनाओं का दल फ्रीस्टेट के लिये रवाना हुआ। इनका पार्क स्टेशन पर बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। यह वनितायें फ्रीस्टेट में जा पहुंचीं और बिना सनद के सीमा के अन्दर घुस पड़ीं। यद्यपि इस गुरुतर अपराध के लिये भारी से भारी दण्ड दिया जा सकता है किन्तु इमीग्रेशन अमलदार ने इनको सत्याग्रही जानकर कुछ छेड़ छाड़ नहीं की। सरकारकी इस उदासीनता पर इन स्त्रियों को बड़ा शोक हुआ और इन्होंने अपने मन्दभाग्यको बड़ा धिक्कारा; अन्त में विवश होकर यह महिलायें विरिनिगिंग में चली आईं और माथे पर टोकरी धरकर बिना परवाना फेरी फिरना शुरू कर दिया। इस देश के क़ानून के अनुसार बिना परवाना फेरी फिरना बड़ा भारी अपराध है और इस अपराध के लिये जेल अथवा जुर्माने की सज़ा हो सकती है, किन्तु पुलिसने इस मामले में दख़ल देना उचित नहीं समझा और सम्भव है कि सरकार की ओरसे उन्हें कोई विशेष आज्ञा मिली हो। इन स्त्रियोंने एक साधारण कर्मचारी से लेकर न्यायाधीश के मकान तक दौड़कर फेरी की, परन्तु किसीने इनके साथ चूं तक नहीं की।

हवालातमें छः घन्टे

मैं दिनमें दो तीन बार टेलीफोन द्वारा महात्मा गान्धी से अपनी पत्नीका समाचार पूंछा करता था। एक दिन मुझे इस बातसे कुछ लज्जासी मालूम हुई कि मेरी स्त्री सत्याग्रह के संग्राम में सम्मलित हो गई और अभी तक मैंने कर्तव्य पथ में आगे क़दम नहीं रखा। इस भावने मेरे हृदयपर बड़ी गहरी चोट पहुंचाई और मैंने इस विषय पर भाई देवी दयालसे सम्मति मांगी। उन्होंने दृढ़ता और नम्रता के साथ कहा कि आपको शीघ्र ही राष्ट्रीय युद्धमें प्रवृत हो जाना चाहिये। उस समय मैं प्रायः दिन भर सत्याग्रहकी चर्चा किया करता था और जो कोई मेरे पास आ जाता उसे मैं सत्याग्रहका उद्देश्य और महत्व समझाया करता था। इसके अतिरिक्त मुझे कारागार सम्बन्धी साहित्य पढ़ना भी बड़ा लाभदायक प्रतीत होता था, अवकाश के समय मैं महात्मा गान्धी के जेलका अनुभव, महात्मा अरविन्द घोष की कारावास कहानी, लाला लाजपत रायके निर्वासनकी कथा, श्रीयुत अच्युतराय कोल्हाटकरके जेलके भयानक कष्ट, आदि पुस्तकें अथवा निबन्धों को बड़े चाव से पढ़ा करता था, इन शिक्षाप्रद कथाओंसे मेरे मानसिक सरोवरसे देशसेवाका निर्मल झरना प्रवाहित होने लगता था और मेरे भावी कार्य्यक्रमकी पुष्टि होती थी।

एक दिन मैंने जर्मिस्टन के कुछ उत्साही लोगों से कहा कि अकर्मण्य होकर बैठे रहना कायरताका लक्षण है, इस लिये हमें

जर्मिस्टनमें ही कुछ न कुछ करना चाहिये। मेरी तो उत्कट इच्छा थी कि नेटालकी सीमा पार कर जेलका महमान बनूं किन्तु मेरे साथ जानेवाले कितने ही भाई नेटाल की सीमा लांघकर दीर्घ जेल भोगनेके लिये प्रस्तुत नहीं थे। उन्हें अभी अपने घरका पूरा प्रबन्ध करना अवशिष्ट था। वे मेरे साथ चलनेका पक्का क़ौल क़रार कर चुके थे, इस लिये उन्हें छोड़कर मैं अकेला चला जाना भी नैतिक दृष्टिसे ठीक नहीं समझता था; निदान हम लोगोंने जर्मिस्टनमें ही बिना परवानेके फेरी करके अल्प कालिक जेल भोगनेका निश्चय किया। इस काममें हमें १० पुरुष और ८ स्त्रियोंका समुदाय मिल गया।

मैंने विचार किया कि यदि मैं बढ़िया पोशाक पहिन कर फेरी करनेको निकलूंगा तो शायद पुलिस के कर्मचारी मुझे पकड़ने में हिचकिचायंगे, इस लिये मैंने बहुत दिनोंका फटा–पुराना कपड़ा पहिन लिया, जिसमें पचासों जगह पेवन्द लगे हुये थे। इन पुराने कपड़ोंके पहिनने पर मैं पूरा भिखारी जैसा बन गया और जब मैं अपनी यह बेशक़ीमती पोषाक पहिन कर बाहर निकला तो सब मुझे देखकर हँसीके मारे लोटपोट होने लगे; क्यों कि इससे पहिले किसीने मुझको इस शक्ल–सूरतमें कभी नहीं देखा था। सब लोग मेरे फटे-पुराने वस्त्रों पर दिल्लगी करने लगे। तो उनमें से एक महाशयने कहा कि "भाईयो! यह हँसी–दिल्लगी करनेका समय नहीं है। मैं तुम लोगोंमें से प्रत्येक को आदेश करता हूं कि तुम

भी देशकी प्रतिष्ठा के लिये भिखारी बनना सीखो।" इन शब्दोंमें कैसे उत्कृष्ट भावोंका समावेश था, यह प्रत्यक्ष है।

हम लोग अपने अपने माथेपर टोकरे रखकर फेरी करनेके लिये निकल पड़े। जब हम लोग जर्मिस्टन शहरमें पहुंचे तो वहांके गोरे एकदम चौंक पड़े, वे मार्गोंमें खड़े होकर यह कौतुक देखने लगे। यद्यपि यहाँ का दस्तूर है कि सिरपर बोझ रखकर कोई फुटपाथ पर नहीं जा सकता है, किन्तु हमलोग टोकरे लिये निधड़क फुटपाथ पर चले जाते थे और कोई रोकटोक नहीं करता था। हम लोग कभी कभी रास्तेमें खड़े होकर बड़े जोर जोरसे चिल्लाते थे कि "केला चाहिये, नारंगी चाहिये, अमरूद चाहिये, फूल चाहिये, इत्यादि।" इस पर गोरे लोग हंस पड़ते थे कि इन्होंनें तो अच्छा ढोंग रचा है। जब कोई अनजान गोरा पास आकर फलोंका दाम पूंछता तो उसको एक पैसेकी चीजका पांच पैसे बतलाये जाते, जिसपर वह 'टू डियर' कहकर अपना रास्ता पकड़ता था। योंही घूमते फिरते कोई ग्यारह बज गये और हम लोगोंको पकड़नेका कोई लक्षण नजर नहीं आया तब हम लोगोंने रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्म पर जाकर वहां 'केला चाहिये—नारंगी चाहिये' आदि शब्दोंकी प्रतिध्वनिसे महाकोलाहल मचा दिया। स्टेशनके कर्मचारियोंके रोंगटे खड़े हो गये और वे मनही मन कहने लगे कि यह बला कहांसे आगई। "क्या करना चाहिये? इन्हे किस प्रकार यहांसे हटाना चाहिये" इन बातोंकी उधड़े बुनने कुछ समयके लिये उन्हें मौन रखा और शायद कुछ सोच बिचारके अनन्तर प्रत्यक्षमें स्टेशन मास्टर हम लोगोंके पास

आकर कहने लगा कि "आप लोगोंको मालूम है कि यह रेलवेका स्टेशन है, यहां पर कोई आदमी रेलवे आफ़सरकी इजाज़तके बिना तिजारत नहीं कर सकता है और जो कोई इस रूलके बरख़िलाफ़ काम करता है वह क़ानूनसे सज़ा पाता है"। हम लोगोंने उत्तर दिया कि "महाशय! हम लोग ख़ूब सोच समझकर यहांतक आये हैं और हमको अच्छी तरहसे मालूम है कि इस गुनाहकी सज़ा जेल अथवा जुर्माना हो सकती है। बड़ी कृपा होगी, यदि आप इन दोनोंमें से कोई एक सज़ा दिलानेकी कोशीश करेंगे।" इस पर स्टेशन मास्टरने नम्रतापूर्वक कहा कि "यह मैं जानता हूं कि आप लोग सत्याग्रही हैं और नये क़ानूनका विरोध करनेके लिये जेल जाना पसन्द करते हैं किन्तु उचित तो यह है कि आप लोग मुझे कष्ट न देकर किसी सरकारी दुर्गपर धावा करें।" इस अन्तिम बचनको सुनकर हम लोग खिल खिलाके हँस पड़े और स्टेशन मास्टरको जवाब दिया गया कि "अब यहांसे दूसरी जगह जाना हम लोग उचित नहीं समझते। आप क़ायदेके अनुसार हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि आप हमें गिरफ्तार न करेंगे तो हम लोग यहीं पर फेरी करेंगे"। स्टेशन मास्टरने जब देखा कि समझाने बुझानेसे कोई काम नहीं बनेगा और यह लोग यहांसे हटना पसन्द नहीं करते तो प्रत्यक्षमें कहा कि "अब मैं रेलवेके क़ायदेके अनुसार तुम लोगोंको गिरफ्तार करता हूं और तुम लोग मेरे साथ थानेपर चलो"। इस सुधामय बचनसे हमारे हृदयमें आनन्दका स्रोत उमड़ने लगा और हम प्रसन्न होकर थानेकी राह चल पड़े।

रास्तेमें खूब हँसी-मज़ाक़ होता जाता था। थाने पर पहुंच कर हम लोग पंक्तिबद्ध खड़े किये गये, उस समय सबके मुखोंपर हँसीकी रेखा झलक रही थी। थानेदारने तड़प कर कहा कि "अच्छा, तुम लोगोंको जेल चाहिये न? हम तुमको जेल देते हैं।" इस धमकीके अनन्तर हम लोगोंको नाम धाम लिखकर हवालातमें भेज दिया गया।

उस समय जर्मिस्टनकी हवालातमें घोर निस्तब्धता छाई हुई थी। मनुष्य थे सही, पर वे ऐसे गुपचुप थे कि उनकी आहट भी नहीं मिलती थी। इस बड़े घरके सब महमान अपने अपने भाग्यका फैसला सुननेके लिये शोकसागरमें मानो डूब रहे थे किन्तु हम लोगोंके हवालातमें प्रवेश करते ही वह निस्तब्ध स्थान मनुष्योंकी कलकलाहटसे गूंज उठा। किसीने जेबसे गीता निकाली, किसीने अन्य ग्रन्थ निकाले और किसीने गप्प हांकना शुरु किया। इस प्रकार आमोद-प्रमोद करते दो बज गये तब एक गोरे सिपाहीने आकर स्त्रियोंको एक कोठरीमें और पुरुषोंको दूसरी कोठरीमें जानेके लिये अनुरोध किया। उस समय एक बड़ी कौतूहलजनक घटना हो गई। हमें कोठरीमें बन्द करनेसे पहिले उसमें पेशाबका बर्तन रख देना आवश्यक था, इस कामके लिये उस गोरेने हमारे एक साथीको पसन्द किया। जब हम लोग कोठरीमें बन्द कर दिये गये तो इस बातकी चर्चा छिड़ गई। जिसने कोठरीके अन्दर पेशाबका बर्तन रखा था, वह जातिका वैश्य था। किन्तु उसका

बदन बेतरह काला था। इस पर लोगोंने कहना शुरू किया कि "भला इस गोरे सिपाहीको यह कैसे मालूम हो गया कि पेशाबका बर्तन उठानेवाला यही आदमी है। उसने दूसरेको क्यों नहीं कहा? इसके काले शरीरने इससे पेशाबका बर्तन उठवा कर छोड़ा"। इस बातसे वह आदमी बहुत चिढ़ता था, भला-बुरा बकता था किन्तु उसकी बातपर ध्यान न देकर सब लोग हास्य-रसमें मग्न थे। योंही हँसी-मस्खरीमें छः बज गये तब एक सिपाहीने आकर हम लोगोंको हवालातसे बाहर निकाला और थाने पर ले चला। उस समय हम लोग फूले अङ्ग नहीं समाते थे और समझते थे कि शायद आज ही हम लोगोंको सज़ा मिल जायगी, किन्तु थाने पर आते ही कुछ और ही गुल खिला। थानेदारने हम लोगोंके टोकरे हमें वापस देकर वहांसे निकाल बाहर किया। पूंछने पर थानेदारने कहा कि "तुम्हारे लिये जेलमें जगह नहीं है"। हम लोग इस घटनासे बड़े निराश होकर अपने घर लौट आये। दूसरे दिन जोहांसबर्गके प्रसिद्ध दैनिक पत्र '**रेन्ड डेली मेल**' और '**ट्रांसवाल लीडर**' ने इस छोटीसी किन्तु रोचक घटनाको "**सत्याग्रहियोंके लिये जेलमें जगह नहीं है**" शीर्षक देकर एक लेख प्रकाशित किया।

नेटालकी सीमा पर

इधर वरिनिगींगमें जो ११ सत्याग्रही स्त्रियां फेरी करके अपने आपको पकड़वाना चाहती थीं, उन्हे जब सरकारने किसी तरह नहीं पकड़ा तो वह निराश होकर नेटालकी सीमा पर लौटीं; उनके साथ मि० हेनरी एस० एल० पोलक थे। जब यह दल जर्मिस्टनके स्टेशन पर पहुंचा तो वहांसे हम लोग ७ मनुष्य इस दलमें और सम्मलित हो गये। जोहांसबर्गसे श्रीयुत थम्बी नायडू भी इस दलमें शरीक हो गये थे। इस प्रकार हम ८ पुरुष और ११ स्त्रियोंका एक दल संगठित हुआ। ट्रांसवालका यह पहिला ही दल था जो नेटालकी सीमा पर जा रहा था। म० थम्बी नायडू अपने साथ '**रेन्ड डेली मेल**' लाये थे और '**इन्डियन ओपिनियन**' मेरे पास ही था। इन पत्रोंमें से सत्याग्रहका सम्वाद पढ़कर मैं अपने साथियोंको सुनाने लगा। इसके बाद फिर वही गप्पाष्टक आरम्भ हुई, तरह तरहकी मजेदार बातें होने लगीं।

आज १० अक्टूबर था, शामके सात बजे हम वाल्करस्ट पहुंचे। यही सत्याग्रहियोंके लिये लड़ाईका मैदान था। ज्योंही हमारी गाड़ी स्टेशन पर पहुँची त्योंही इमीग्रेशन अमलदारने आकर नेटालमें जानेका परवाना मांगा, किन्तु इधरसे उत्तर दिया गया कि हम लोगोंमेंसे किसीके पास नेटालकी सनद नहीं है। चतुर अमलदार सब मामला समझ गया, उसने हमें गाड़ीसे उतरनेकी आज्ञा दी, हम लोग तुरन्त गाड़ीसे उतर पड़े और इमीग्रेशन अमलदारके साथ

थानेपर चले। वहां थानेदारने हम लोगोंका पूरा नामधाम जाननेके लिये बड़ी कोशीश की, किन्तु वह सफलमनोरथ न हो सका। हम लोगोंने अपना आधा आधा नाम बताया; जैसे थम्बी, प्रसाद, गुलाब, दयाल आदि आदि। थानेदार साहिब कुछ अधिक तो करही नहीं सकते थे, विवश होकर हमारे कहनेके अनुसार नामधाम लिखकर छुटकारा पा गये। वहांसे हमें एक केम्पमें भेजा गया, जो थानेसे मील भरके फ़ासिले पर था। उस रातको थानेदारके साथ बहुत धींगा धींगी करनेपर हमें खानेके लिये केवल सूखी रोटी (Bread) दी गई और कुछ मुरब्बा (Jam) हमारे पास था। खैर, किसी तरहसे खाने पीनेका काम तो चल गया, किन्तु सोनेमें असाध्य बेदना सहनी पड़ी; क्यों कि सरकारकी तरफ़से हमें एक भी कम्बल नहीं मिला और हमारे पास जो कम्बल थे वह स्त्री-बच्चोंको दे दिये गये। यद्यपि वालकरस्टके मुसलमान व्यापारी हमारे आरामके लिये कम्बल देना चाहते थे, लेकिन हम लोगोंने सरकारके महमान होनेके कारण भारतीय बन्धुओंसे कम्बल लेना पसन्द नहीं किया। उस रातको केम्पमें ३ अन्य सत्याग्रही मनुष्य भी ठहरे थे और उनके ऊपर दूसरे दिन मुक़द्दमा चलनेवाला था। उन लोगोंने वालकरस्टके व्यापारियोंसे ओढ़नेके लिये कम्बल मांग लिये थे, उनके विस्तरके अन्दर हमारे भी दो एक साथी घुस पड़े, जिनको कष्ट सहनेका अभ्यास नहीं था। मैं अपने साथ एक ओवरकोट लाया था, उसे पहिन कर मैं लेट रहा। म० थम्बी

नायडू पुस्तक पढ़ने लगे। रातको जब सर्दीका ज़ोर हुआ तो लोगोंके घुटने मुँहसे मिलकर बातें करने लगे, दांत खटखटाने लगे और शरीर थरथर कांपने लगा। बिचारी नीन्द दुमदबा कर ऐसी भागी कि जैसे सूर्य्यके प्रकाशसे अन्धकार। प्रभु प्रभु रटते रात कटी, सुबह उठकर आग जलाई गई और उसके आसपास बैठकर हमलोग तापने लगे। चाय-काफ़ी पीनेपर होशहवास कुछ ठिकाने आये।

हमें पूरा विश्वास था कि आज हमारे ऊपर मुक़द्दमा चलाकर हमें जेलमें भेज दिया जायगा। दस बजेके समय हम लोग अदालतमें गये, वहां उन पहिले अन्य तीन सत्याग्रहियोंको तीन तीन मासके लिये जेलमें भेजा गया। हमारा चित्त भी उथल-पुथल हो रहा था कि आज हमें भी इसी तरह बन्दीघरमें प्रवेश करना पड़ेगा किन्तु थोड़ीही देरमें हमारी आशा निराशामें परिणत हो गई। एक बजे हमें थानेपर बुलाया गया। हम लोगोंने समझा कि शायद मुक़द्दमा चलानेके लिये ही हमें थानेपर बुलाया जाता है, किन्तु वहां जानेपर कुछ और ही गुल खिला। थानेदारने हमें राजस्व-सचिवका तार सुनाकर कहा कि अब आप जहां चाहें, जा सकते हैं; आपके लिये चारों तरफ़का दरवाज़ा खुला है और सरकार आपके उपर मुक़द्दमा चलाना नहीं चाहती।" सुननेमें तो यह शब्द बड़े प्रिय लगते हैं, किन्तु इन शब्दोंने हमारे ऊपर बज्रसा प्रहार किया और हमारी आशालता पर तुषार गिर

पड़ा। हम लोग कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये। क्या जेलका महमान बनना हमारे मन्दभाग्यमें बदा ही नहीं है? हमारे कई साथियोंने इस असफलताका सारा दोष स्त्रियोंके मत्थे मढ़ा कि जहां जहां यह स्त्रियां जांयगी, वहां वहां का रास्ता साफ़ होता जायगा और सरकार इन्हें कदापि गिरफ़तार न करेगी। इससे उत्तम यह ही है कि इनका साथही छोड़ दिया जाय। मैंने बहुत समझा बुझा कर इन अबोधहृदयोंको शांत किया।

शामके सात बजेकी गाड़ीसे हम लोग वालकरस्टसे रवाना हुये। संयोगवश महात्मा गान्धी और मि० केलनबेक उसी गाड़ीपर जोहांसबर्ग से दरबन जा रहे थे। महात्मा गान्धी, मि० केलनबेक, मि० थम्बी नायडू और मैं एक डब्बेमें बैठकर विचार करने लगे कि अब भावी कार्यक्रम क्या होना चाहिये। थोड़े ही समयमें यह निश्चित हो गया कि अब कोयलेकी खानोंपर जाकर मजूरोंसे हड़ताल कर देनेके लिये अनुरोध करना उचित होगा। हम लोग तो चार्लिस्टनमें उतर पड़े और महात्मा गान्धी तथा मि० केलनबेक सीधे दरबनको रवाना हुये। चार्लिस्टनमें उतरते ही एक मुसलमान सिपाही ने हमारे पास आकर 'नेटालकी सनद' पूछी, इधरसे बेलाग उत्तर दिया गया कि हमारे पास सनद नहीं है। यह सुनकर सिपाही राम बड़ी आतुरतासे अपने बड़े साहिबके पास दौड़े और हम लोगोंकी सारी हक़ीक़त ब्यान कर दी। बड़े साहिबने फ़रमाया कि इनको पकड़नेकी जरूरत नहीं है। सिपाही महाशय अपनासा मुँह लेकर हमारे पास लौट

आये और बड़े साहिबका फ़रमान कह सुनाया। हम लोग इस आज्ञासे दुखित होकर अली पीरभाई के मकानपर गये और वह रात हमने वहींपर बिताई। दूसरे दिन रविवारको १२ अक्टूबर था। उस दिन मूसलाधार वृष्टि होने लगी। हम लोग वहांसे आगे बढ़नेका इरादा रखते थे लेकिन बरसातके मारे घरसे बाहर निकलना बड़ा मुशकिल था। मि० पीरभाई तो हम लोगोंकी सेवामें कटिबद्ध थे किन्तु उनकी बीबी और बच्चे कुछ कुभाव दिखानेसे नहीं चूके। अलीकी बीबीके व्यवहारसे असन्तुष्ट होकर सत्याग्रही स्त्रियोंने निश्चय किया कि आज ही यहांसे कूच कर देना आवश्यक है किन्तु मि० थम्बी नायडू और मैंने उन्हें बहुत कुछ ऊंच-नीच समझा कर ठंडा किया। किसी तरह आजका दिन भी चार्लिस्टनमें ही कट गया।

न्यूकासलमें सत्याग्रह

ता० १३ अक्टूबर सोमवारके दिनमें रवाना होकर ११ बजे हम लोग न्यूकासल पहुंचे। स्टेशन पर सैंकड़ों भारतवासी खड़े हम लोगोंकी इन्तज़ारी कर रहे थे। जिस समय हमारी गाड़ी न्यूकासलके स्टेशन पर पहुंची, उस समयका दृश्य अपूर्व था, 'बन्देमातरम्'के जयघोषसे स्टेशन गूंज उठा। स्टेशन पर हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब जाति और धर्मके मनुष्य उपस्थित थे। जिन लोगोंकी यह कल्पना है कि भारतवासी धार्मिक भेद-भावको त्यागकर एक राष्ट्रमें नहीं परिणित हो सकते, यदि उनका

शरीर तो नहीं—आत्मा प्रेतरूपमें आकर न्यूकासलका यह राष्ट्रीय दृश्य देखता तो उसे अपनी धारणा निर्मूल जान पड़ती और अपने भ्रमात्मक विचारके लिये प्रायश्चित्त अवश्य करना पड़ता। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी और कृश्चियनोंके भिन्न भिन्न धर्म्म हैं, किन्तु वे सब एकही जननीकी सन्तान हैं और काम पड़ने पर क्षुद्र भेदभावोंको भुलाकर एक हो सकते हैं। सारे भारतवासियोंकी हानि लाभ और इज्जत आबरूमें कुछ भी अन्तर नहीं है।

स्टेशन पर कई बग्गियां हम लोगोंके लिये खड़ी थीं, पर हम लोगोंने बग्गियों पर सवार होकर जानेसे इनकार कर दिया; क्योंकि हम सत्याग्रही बनकर देशके कल्याणके लिये कष्ट उठानेको घरसे निकले थे, अब विलासिता को अङ्गीकार करना अवश्य ही अपने पवित्र व्रत पर धब्बा लगाना था। हम लोग पैदल चलकर नगर में मि० लाज़रसके घर पर गये। मि० लाज़रस एक देशभक्त कृश्चियन हैं। जो लोग हिन्दू होकर '८ कन्नौजिया ९ चूल्हे' के सिद्धान्तको माननेवाले हैं उन्हें यहां स्मरण रखना चाहिये कि जितने दिन हम लोग न्यूकासलमें रहे उतने दिनों तक मि० लाज़रसकी पत्नीके हाथका रांधा हुआ भोजन करते रहे। यहांपर छूत छातके बखेड़े को तिलाञ्जलि दी जा चुकी है।

आज ही रातके ७ बजे सेन्ट वासवल्ड स्कूल Saint Oswald's School में न्यूकासल निवासियोंकी एक सार्वजनिक सभा हुई, सभा-

भवन मनुष्यों से खचाखच भर गया था। प्रथम महात्मा गान्धीका तीन बार जयजयकार किया गया। इसके बाद मि० इस्माईल सिदातकी अध्यक्षतामें कई वक्ताओंके व्याख्यान हुये और मि० रोबिन्स आदि सहृदय गोरोंने भी हमारे साथ सहानुभूति प्रकट की। कई मनुष्योंने जेल जानेकी प्रतिज्ञा की और सत्याग्रहसमिति स्थापित होनेके बाद सभा विसर्जित हुई।

अब हम उस महान् हड़तालका आरम्भ करते हैं, जिससे सारे जगतमें हलचल मच गई थी। ता० १४ अक्टूबर सन् १९१३ का दिन, दक्षिण आफ्रिका तथा भारतके इतिहासमें बड़े महत्वका दिन समझा जायगा। यह वह दिन है, जिस दिन दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासियोंने हड़तालका आश्रय लिया। अब तक केवल सीमोल्लंघन करके जेल जानेकी परिपाटी थी। किन्तु आज इस आन्दोलनने नया रूप धारण किया। आज सुबहसे ही शहरमें शोहरत हो गई कि ट्रांसवालके सत्याग्रहियोंने आकर न्यूकासलमें अजीब हलचल मचा दी है। रात उनकी सभा हुई थी और आज वे हड़तालका आन्दोलन शुरु करेंगे। न्यूकासलके नरनारियों के झुंड के झुंड दिन भर हमसे मिलनेके लिये आते रहे। उनके मुँहसे आश्चर्यभरे वचन निकलते थे। कोई कोई संशयात्मक मनुष्य पूंछ बैठते थे कि "इस आन्दोलन में आप कैसे विजय प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि सरकार तुम्हारे प्रतिकूल है और अधिकारियों की तुम्हारे उपर वक्र दृष्टि है।" उनको उत्तर दिया जाता था कि

" भाई, हम सत्याग्रह पर आरूढ़ हैं, हम किसीसे भीख नहीं मांगते, किन्तु अपने नैसर्गिक स्वत्वके लिये पग रोप रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस आन्दोलन में हमें तरह तरह की आपत्तियों-का सामना करना पड़ेगा। किन्तु हमारा उद्देश्य पवित्र और उच्च है। इस उद्देश्य की पूर्तिके लिये हम सब प्रकार के कष्ट झेलेंगे, किन्तु अपने सत्याग्रह से विचलित न होंगे। स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि 'जैसी तुम चिन्ता करोगे वैसे ही होगे। पराक्रम करने की शक्ति हम में है, हम किसी अन्य राष्ट्रके लोगोंसे कम बुद्धिमान् नहीं हैं इस बातका चिन्तवन रात दिन करनेसे ही तुम सचमुच सबोंसे अधिक बुद्धिमान्, विचारवान् और स्वतंत्र हो जाओगे'। यदि सचमुच आपके शरीरमें स्वदेशाभिमानका भाव जागृत हुआ है और यदि आपके हृदयमें अपने देशके बिलखते हुये प्राणियों के लिये कुछ भी दर्द है तो इस आन्दोलन में हमारा साथ दीजिये, यदि ऐसा न कर सको तो शांतिपूर्वक सब काम देखते रहो, किन्तु चलती गाड़ी में रोड़ा नहीं अठकाना, चुगलखोरीसे अपने राष्ट्र को कलंकित मत करना और अपने भाईका गला काटने-के लिये उद्यत मत होना।" इस बातसे उनका कोमल हृदय द्रवी-भूत हो उठता था।

प्रायः दिनभर न्यूकासलनिवासियों से मिलने जुलने में हम लोगोंने बिता दिया; शामको हमारी राष्ट्रीय सेना की सजावट होने लगी। कपड़े-लत्ते पहिन कर सब तैय्यार हो गये। हमारी सेना-

में केवल पुरुष ही नहीं थे, वरन् उनमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। हमारे दल में ८ पुरुष, ११ स्त्रियां और ६ बच्चे, छोटे बड़े कुल २५ प्राणी थे। जब हमारी राष्ट्रीय सेना मि० लाज़रस के मकान से बाहर निकली उस समय की छटा निराली थी। हमें आज रेलवे-बारक्स पर चढ़ाई करनी थी, इस लिये हम लोग वहांसे सीधे बारक्स की तरफ़ रवाना हुये। मार्ग में कितने ही स्त्री-पुरुष अपने अपने घरों के बरामदों में खड़े होकर बड़े आश्चर्य से हमारी ओर निहारते थे। हम लोग रेलवे बारक्स में पहुंचे, शामका वक्त़ था, मजूरोंने काम से छुट्टी पाई थी। हमारे आने की ख़बर पाते ही सब मजूर इकट्ठे हो गये, यह मजूर हिन्दी और तामिल भाषा बोलनेवाले थे। इस लिये मि० थम्बी नायडूने तामिल में और मैंने हिन्दी में व्याख्यान देकर सत्याग्रह का महत्त्व दर्शाया। इधर तो हम लोग मजूरों को हड़ताल कर देने के लिये उत्तेजित कर रहे थे और उधर किसीने जाकर स्टेशन मास्टर को ख़बर कर दी कि ट्रांसवाल के सत्याग्रही रेलवे के मजूरों को बहका कर हड़ताल कराना चाहते हैं। यह बात सुनते ही स्टेशन-मास्टर दौड़े हुये बारक्स में पहुंचे और सबसे पहिले मेरे समीप आकर कहने लगे कि 'देखने में तुम यूरेशियन जान पड़ते हो'। मैंने उत्तर दिया कि आपकी धारणा निर्मूल है, वास्तव में मैं भारतवासी हूं।

स्टेशन मास्टर—तुम इस सरकारी ज़मीन में बिना आज्ञा के क्यों घुस आये?

मैं—हम अपने भाईयोंको समझाते हैं कि जबतक सरकार ३ पौंड का टेक्स न रद्द कर दे तबतकके लिये काम करना छोड़ दो।

स्टेशन मास्टर—यह सब मजूर लोग तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? तुम तो सभ्य और उच्च वर्ण के जान पड़ते हो; फिर भला यह नीच जाति के लोग तुम्हारे भाई कैसे?

मैं—इसमें सन्देह नहीं कि आपने हमारे इन भाईयों को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया है, उसी जंजीर को तोड़कर उन्हें उच्च बनानेके लिये हम यहां आये हैं। हममें से कोई उच्च नीच नहीं है, सब बराबर हैं और एक ही माताकी सन्तान हैं। स्टेशन मास्टर गर्म होकर चाबुक फटकारने लगा और तरह तरह की धमकी देने लगा, किन्तु इधरसे मुँह तोड़ उत्तर मिलता गया। अन्त में विवश होकर स्टेशन मास्टरने पुलिस-सुप्रिन्टेन्डेन्टको सूचना दी। पुलिस-सुप्रिन्टेन्डन्ट साहिब कई गोरे और काफिर सिपाहियों को साथ लेकर रेलवे—बारक्स पर पहुंचे और स्टेशन मास्टरके इशारेसे थम्बी नायडू, रामनारायण और मुझे गिरफ्तार कर लिया। उस समय हमारे दलमें बड़ा कोलाहल मच गया और सत्याग्रही स्त्रियां अधिकारियों के सामने रेलवे—बारक्स में घुस पड़ीं तथा मजूरों का हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने लगीं। उन्होंने अपने इस कामसे यह सिद्ध कर दिया कि यह न समझो कि इनको पकड़नेसे यह आन्दोलन शांत हो जायगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल नायडू और दयाल हमारे नेता नहीं, बल्कि हम सबके सब नेता

हैं। यदि तुम केवल नेताओं को पकड़ना चाहते हो तो हम सबको पकड़ो, अन्यथा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध न होगा। जब तक हम लोगोंमें से एक भी आदमी बाहर रहेगा तब तक इस आन्दोलन को जारी रखेगा।

हमारे दलकी एक कृश्चियन वीराङ्गना श्रीमती ठोमी बड़ी उग्र-स्वभाव की महिला थीं, वह स्टेशन मास्टर तथा पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट-को धक्का देती हुई बारकस में घुस पड़ीं और इनके ऊपर वाक्य-बाणों की बौछार करने लगीं। यदि हम लोग उन्हें रोकने का प्रयास न करते तो उसी दम गोरे साहिबों पर आक्रमण हो जाता। कुमारी बायकम, कुमारी मीनाची आदि महिलायें खूब दौड़ धूप कर रही थीं और हमारे दल के पुरुष भी बेतरह छटपटा रहे थे, किन्तु किसी को पकड़े जानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ।

कारागारमें पहिली रात

वहांसे पकड़े जाकर हम लोग न्यूकासल की जेलमें लाये गये। रातके ९ बज चुके थे, हमारे पास की वस्तुयें ले ली गईं और हमें एक अन्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया। हमको ओढ़ने-बिछाने के लिये केवल दो कम्बल मिले, पेशाबका बर्तन भी उसी कोठरी में रख दिया गया था। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद थम्बी नायडू और रामनारायण तो सो गये। इन्हें निद्राने ऐसा धर दबाया कि इनको देह की भी सुधि नहीं रही

और नाक से 'घुर्र घुर्र' की आवाज़ निकलने लगी, किन्तु मुझे नीन्द कहां? क्यों कि उस कोठरीमें इतने खटमल थे, जिनका कोई हद्दोहिसाब नहीं। वे ईंटकी दीवारसे निकल कर हमारे बिस्तर के अन्दर घुस पड़े, देहभरमें रेंगने लगे और निर्दयतापूर्वक ताज़ा रक्त चूसने लगे। मेरे शरीरमें बड़े बड़े फफोले पड़ गये, और जिधर हाथ पड़ जाता उधर ही दो चार कुचल जाते। उससे ऐसी दुर्गन्ध निकलती थी कि सिरमें चक्कर आने लगता था। मैं कभी बैठ जाता था, कभी खडा हो जाता और फिर कभी लेट जाता था। किसी हालत में चैन नहीं पड़ती थी। उस समय के दुःखसे मैं इतना अधीर हो गया कि अकस्मात् मेरे मुखसे यह शेर निकल पड़ा:—

"जिसने आज़ाद रहकर दिन अपने हों गुज़ारे।
उनको भला ख़बर क्या यह क़ैद क्या बला है॥"

म० थम्बी नायडू कईबार क़ैदकी हवा खा चुके थे, पर मेरे लिये जेलके महमान बनने का यह पहिलाही अवसर था, इस लिये मेरा हृदय अधीर हो उठा किन्तु कष्ट के बाद धैर्य का आना अनिवार्य है। मैं अपने मन को सम्बोधन कर के कहने लगा—"रे मन! तू क्यों इस ज़रासे कष्ट में घबराता है, तुझे अभी आगे बड़े बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ेगा। यह कष्ट नहीं है, किन्तु तपका एक अङ्ग है। तूने अभी क्या सहा! कुछ नहीं! एक रात कौनसी बड़ी बात है। देशभक्त लाजपतराय और सरदार अजीत-सिंह ने माण्डले में छः मास बिताये थे, महात्मा अरविन्द घोषने

वर्षों जेलकी यातनायें सहीं और लोकमान्य तिलक छः वर्षके लिये मातृभूमिसे अलग किये गये। इस आन्दोलन के प्रवर्तक महात्मा गान्धी और हमारे साथी थम्बी नायडू कई बार जेलका उग्रताप सह चुके; पर हे मन! तू केवल एकही रातमें इतना व्याकुल हो गया, वास्तवमें यह बड़ी लज्जाकी बात है।"

इस आत्म-सम्बोधन के पश्चात् यह ध्वनि प्रति ध्वनित होने लगी कि "हम अपने देशवासियों की भलाई के लिये यह कष्ट उठा रहे हैं, हम अपने पवित्र कर्तव्यसे कदापि विमुख न होंगे। यदि हम कष्ट सहते सहते मर भी जावें तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं, हम लड़ाईके मैदान में आये हैं और मरने पर वीरगतिको प्राप्त होंगे। जो वीर है उसे परमात्मा लड़ाई के मोहरे पर भेजता है।" इस प्रकार की प्रतिध्वनि से मनको शांति प्राप्त हुई। ज्यों त्यों करके रात कटी, भोर हुआ और हम लोग जेलर के सामने हाज़िर किये गये। उसने हमसे दस अंगुलियों की छाप मांगी, किन्तु हमने जेलकी सज़ा हो जानेसे पहिले ऐसी छाप देनेसे बिलकुल इनकार कर दिया। इस पर खुद जेलर हमें गर्दन पकड़ कर धक्का देते हुये आफ़िस में ले गया और ज़बरदस्ती हम से अंगूठे के छाप लिये गये। ठीक ९ बजे हमें जेलसे सिपाहियों के पहरेमें अदालतको भेजा गया, थम्बी नायडू और रामनारायणके हाथमें तो हथकड़ी जड़ दी गई थीं, किन्तु मैं जेलर की कृपासे इस आभूषणसे बंचित रहा। जिस समय हम अदालत पर पहुंचे उस समय दर्श-

कोंने दूरसे ही हमें अभिवादन करना शुरु किया। अदालत के आसपास का मैदान आदमियों से भर गया था और हमारे सब साथी भी वहां मौजूद थे। दस बजे हम मजिस्ट्रेटके सामने पेश किये गये। हमारे ऊपर बलात् रेलवे बारकसमें घुस आनेका अपराध लगाया गया था, किन्तु चतुर न्यायाधीशने इस जुर्मको खारिज करके 'मजूरोंके बहकाने' का आरोप क़ायम किया और वादी-प्रतिवादी के ब्यान लेकर हम लोगोंके ऊपर दो दो पौण्ड जुर्माना ठोंक दिया। हमने जुर्माना न देकर जेल जानेकी इच्छा प्रकट की, किन्तु बुद्धिमान् मजिस्ट्रेटने हमें जेल न भेजकर छोड़ दिया।

हड़तालका विस्तार

कोई भी राष्ट्र जब गुलामीकी दलदल में फँस जाता है तो उसके ऊपर अत्याचार और अन्यायकी भरमार होने लगती है और जब उसका कष्ट चरम सीमाको पहुंच जाता है तब परमात्मा उसका सहायक होता है। हमारे देशवासी तीन पौण्डके जज़िये रूप टेक्ससे व्याकुल हो रहे थे और इस खूनी करसे छुटकारा पानेके लिये यह आन्दोलन शुरु किया गया था। यदि उस दिन मजिस्ट्रेट साहिब हम लोगोंको जेलकी सज़ा दे देते तो सम्भव था कि यह आन्दोलन कई अंशों में दब जाता, किन्तु ईश्वरका ऐसा मनोगत सङ्केत दिखाई पड़ता था कि, मानो अब भारतवासियों को इस खूनी टेक्ससे रिहाई मिलनेवाली है।

उसी दिन शामको हम अपने दल बलके साथ 'फरेली कोलरी' पर गये। इस कोयलेकी खानमें बहुसंख्यक भारतवासी मजूरी करते थे। हमने जाकर उन्हें हड़ताल कर देनेके लिये आदेश किया। उनके ऊपर हमारे कथन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सबके सब गोरोंका काम छोड़ बैठे। उस खानके मैनेजरने हमसे कहा कि 'आपने अच्छा किया कि हमारी खानका काम बन्द करा दिया, लेकिन याद रहे कि इसी तरह सारे दक्षिण अफ्रिकाकी खानोंका काम बन्द कराना, तभी हम आपको समदर्शी और बुद्धिमान् जानेंगे। ऐसा न हो कि मैं अकेलाही इस चक्कीमें पीसा जाऊं"। हमने गोस्वामी तुलसीदासजीके इस कथनके अनुसार उत्तर दिया:—

"जो इच्छा राखो मनमाहीं। हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं॥"

दूसरे दिन मि० केलनबेक, मि० नायडू और मैंने बैलंगीचकी कोयलेकी खानपर जानेका निश्चय किया और कई जानकार आदमियोंको अपने साथ ले लिया। हम लोगोंने न्यूकासलसे अल्कोक्सप्रुटके लिये तीसरे दर्जे का टिकिट लिया। हमें जाते देखकर जासूसने उस खानके मैनेजरको टेलीफोनद्वारा सूचना दे दी। मि० केलनबेक हमारे साथही तीसरे दर्जेके डब्बेमें बैठे हुये थे। किन्तु उन्हें सन्देह था कि कहीं कोनडेक्टर उन्हें पहिचान न ले कि यह यूरोपियन हैं और यूरोपियनोंके डब्बेमें जानेके लिये उन्हें बाधित करे। इस भयसे उन्होंने टोपीसे अपना आधा मुँह ढांप लिया था। जब कोनडक्टरने टिकटको जांच लिया तब उनका संशय मिटा। उस डब्बेमें कुछ

काफ़िर भी बैठे हुये थे, वे मि० केलनबेकको देखकर आश्चर्य करते थे कि यह गोरा क्यों इस डब्बेमें आ बैठा है। रातके दस बजे हम अलकोक्सप्रुट पहुंचे, वहांसे हमने बैलंगीच कोलरीकी राह पकड़ी। आध कोस चलनेपर एक छोटीसी नदी मिली। ज्योंही हम नदी पार होनेके लिये जूता उतारने लगे त्योंही उस खानका मद्रासी सरदार दौड़ता हुआ हमारे पास आया और भयभीत होकर कहने लगा कि आप लोग नदी पार आनेका विचार त्याग दें; क्योंकि खानके मैनेजरको आप लोगोंके आनेकी ख़बर मिल गई है और अभी वह यहां पहुंचनाही चाहता है। आपको अगाह कर देनेके लिये ही मैं अपनी जानको जोखममें डालकर यहां आया हूं, इतना कहकर सरदार साहिब वहांसे चले गये और हम लोगोंने फिरसे जूता पहन लिया।

इस घटनाके थोड़ीही देरके बाद खानका मैनेजर एक और गोरेके साथ वहां आ पहुंचा और पूंछने लगा कि इस रातको तुम्हें यहां आनेकी क्या ज़रूरत थी?

केलनबेक—मैं दरबनसे आजही सुबह आया हूं और कल जोहांसबर्ग चला जानेवाला हूं। मैंने सुना है कि इस खानमें बहुतसे भारतवासी काम करते हैं, उन्हींसे मिलनेके लिये यहांतक आना हुआ है।

मैनेजर—तुम्हारे कपट और मायाजालको मैं अच्छी तरहसे जानता हूं। जिस तरह तुमने न्यूकालसमें उत्पात मचा रक्खा है, वही उपद्रव यहां भी मचाने का विचार है। यहां तुम्हारी दाल नहीं

गलेगी। तुम अपने भाग्यको सराहो कि तुम नदीके उसी पार रहे और अगर इस पार आ गये होते तो इसी चाबुकसे तुम्हारी पीठकी खाल निकाल लेता। यह कोड़ा देखते हो न ? इससे सड़ासड़ मार पड़ती।

केलनबेक—हम लोग सत्याग्रही हैं, तुम्हारे चाबुककी कुछ भी परवाह नहीं करते। ख़ैर, आज बहुत रात हो गई है, इस लिये हम लौट जाते हैं, कल हमारे साथी फिर यहां आवेंगे।

उस रातको तो हम न्यूकासल लौटकर सो रहे, किन्तु दूसरे दिन सुबहही उठकर क्या देखते हैं कि बैलंगीच खानमें काम करनेवाले भारतीय बन्धु हमारे स्थानपर आ डटे हैं। उनसे जब पूंछा गया तो उन्होंने अपनी दुखभरी कहानी यों आरम्भ की—“बैलंगीचकी कोयलेकी खानमें हम लोग ९०० भारतवासी काम करते हैं, जिनमेंसे अधिकांश तीन पौन्डका टेक्स भरनेवाले हैं। इस टेक्ससे हमारे कष्टकी सीमा नहीं हैं, बारबार गुलामीका पट्टा लिखाना पड़ता है, काममें ज़रासी चूक होनेपर दांत तोड़ दिये जाते हैं अथवा बेंतों, लातों और चाबुकोंकी भरपूर मार पड़ती है। हम लोगोंने न्यूकासलमें हड़ताल होनेका समाचार पाया और यह भी सुना कि हमारे नेता ‘गान्धी बाबाका सन्देशा’ लेकर आये थे, किन्तु कम्पौन्ड मैनेजरकी शैतानीसे हमारे पास तक नहीं आने पाये। उस समय खानके भारतवासियोंमें बड़ा कोलाहल मच गया और सब लोग घर छोड़कर खानसे निकाल भागे। अब क्या कहना था गोरेने काफि-

—रोंसे हमको पिटवाना शुरु किया। वे पिशाच हमारे ऊपर शेरकी तरह टूट पड़े और निर्दयतापूर्वक हमको पीटने लगे। किसीकी बांह टूटी, किसीका सिर फूटा, किसीका पैर जखमी हुआ। कहांतक उनके अत्याचारोंका वर्णन करें, हमारे घरोंमें घुसकर और स्त्रियोंको पकड़ कर अपमानित करते और हमारे ऊपर डंडेबाजी करते! स्त्रियोंके केश पकड़ कर घसीटते और भयंकर त्रास दिखाते। एक आदमीको साहिबने गोलीसे मार डाला। हम लोग किसी तरह भागकर आप लोगोंकी शरणमें आ पहुंचे हैं।" इस समाचार से मेरा कलेजा दहल उठा, मैं एक लम्बी सांस खींचकर कहने लगा कि हाय भगवन्! हमारे देशकी कोमल और सरल स्त्रियोंपर यह पाशविक अत्याचार! उन्हें जंगली काफिर पकड़ कर बेहुर्मत करें और उनकी आह सुननेवाला कोई नहीं! इससे बढ़कर हमारा अपमान और क्या हो सकता है! अवश्य ही इस अन्यायका अब अन्त होनेवाला है।

हमने अपने देशवासियोंको धैर्य्य दिया। उनके मुखपर तेज की छटा झलका रही थी और वे उस समय शांति-साहसकी साक्षात् मूर्ति जान पड़ते थे। कोमलाङ्गी भारतीय स्त्रियां अपने नन्हे नन्हे बच्चोंको गोदमें लेकर राष्ट्रीय युद्धमें शामिल होनेके लिये घरसे निकल पड़ी थीं। जगत्के इतिहासमें यह बड़े मार्केकी घटना थी; एक ओर तो यूनियन सरकार और उसके जातिभाई गोरे; और दूसरी ओर असहाय, पराधीन और निर्धन भारतवासी! एकको अपनी शक्ति, प्रभुत्व और सत्ताका अभिमान है और दूसरेको

अपने देशकी इज्जत बचानेकी चिन्ता है । एकके हाथमें तोप और तलवार है—न्याय और दण्ड है; और दूसरेके हाथमें सत्याग्रहका पवित्र **ब्रह्मास्त्र !** पाठक ! इनहीं बेमेलकी शक्तियोंमें आज संग्राम उपस्थित है । क्या आपको इस पर विश्वास होता है ? विश्वास हो या न हो, किन्तु संसारमें सबही संभव है । प्रवासी भारतवासियोंके आर्तनादसे स्वर्गीय माननीय **गोखले**का अन्तःकरण तिलमिला उठा और आपने यह उद्गार निकाले—" हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक स्वर होकर प्रार्थना करें कि भारत सचिवने गतवर्ष ही रेलवे कम्पनियोंको दक्षिण आफ्रिकाकी खानोंसे कोयला खरीदनेका जो हुक्म दिया है उसे वह रद्द कर दें । जिन खानोंमें हड़ताल करनेवाले भारतवासियोंके साथ ऐसी क्रूरताका बर्ताव किया जाता है वे कोयलेकी खानें हैं । अब जो कोयला वहांसे भारतमें आवेगा वह हमारे देशवासियोंकी चाबुक लगी पीठके खूनसे भीजा होगा। " आह ! क्याही मर्मभेदी शब्द हैं !

न्यूकासलके आसपास हड़तालका अंगार ऐसा भभका कि उसकी चिनगारियां दूर दूर तक फैलने लगीं । फरेली कोलरीके मजूरोंने भी हड़ताल कर दी, खास न्यूकासलमें हड़तालने बड़ा जोर पकड़ा । रेलवे विभाग, कोयलेकी खान, लौन्डरी, अस्पताल, होटल, शराबखाना आदि जगहोंमें काम करनेवाले भारतवासियोंने काम छोड़ दिया । यहां तक हड़तालकी उत्तेजना फैली कि मैला उठानेवाले भंगियोंने भी हड़ताल बोल दी । जिधर आंख उठा कर देखो

उधरही हड़तालियोंका दल दृष्टिगोचर होता था । कितने ही कोड़ोंसे पीटे गये, कितने ही गोलियों से मारे गये और कितने ही तीरोंसे बेधे गये पर "मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की" के अनुसार हड़तालकी आग फैलती ही गई । कई हज़ार मनुष्य कामधन्धा छोड़कर हड़तालमें योग देने लगे ।

अस्पतालके प्रबन्धकने आकर हमसे प्रार्थना की कि अस्पतालके भारतवासियोंके हड़ताल कर देनेसे रोगियोंको असीम कष्ट पहुंच रहा है । अतएव धार्मिक दृष्टिसे इनको कामपर जानेके लिये कह दीजिये । हमने अस्पतालके भारतवासियोंको कामपर लौट जानेके लिये ताकीद कर दी । इस पर कितने ही गोरोंके मुँहसे लार टपकने लगी और वे भी हमसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मजूरोंको भी काम पर जानेके लिये कह दीजिये; हमने उत्तर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता । एक खानके मैनेजरने हमसे कहा कि— "देखो, टुम सटियागरही है । टुमको चाहिये कि टुम गोवर्नमेन्टका बिरोड करो । हमने टुमारा क्या बिगारा है ? हम टुमारे भाईयोंको बहुट अच्छी टरहसे रखटा है ।" मैंने उत्तर दिया कि "साहिब ! आपही के काम करनेके लिये सरकारने इन मजूरोंको भारतसे भेजा है और अगर जिन्दगी भर तुम्हारे यहां गुलामी करते रहें तो उनको टेक्स भी नहीं देना पड़ता है । यहांके शासनकी बागडोर पार्लीमेंट के हाथमें है और पार्लीमेन्टके सदस्य भी तुम्हीं लोग हो; इस लिये हमें तुममें और सरकारमें कोई

विशेष अन्तर नहीं दीख पड़ता है। " सत्याग्रही पुरुष और स्त्रियोंने बिना परवानेके फेरी करना आरम्भ किया। इन्होंने मजिस्ट्रेटका घर, पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्टका मकान और समस्त प्रसिद्ध अधिकारियोंके भवन नाप डाले, लेकिन किसीने चूं तक नहीं की। तब इन लोगोंने ख़ास अदालत पर आकर फेरी करना आरम्भ किया और बिना सनदके सामान बेचने लगीं। मैंने पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्टसे कहा कि "क्या आप इन स्त्रियों को पकड़ना नहीं चाहते? यह बिना परवानेके फेरी करती हैं।" मि. मेकडानेल्डने हँसकर उत्तर दिया "इन स्त्रियोंके लिये जेलमें जगह नहीं है।"

"विटनेस" की टीका

इस आन्दोलन को देखकर गोरे लोग घबड़ा उठे और पीटर मेरीत्सबर्गसे प्रकाशित होनेवाले सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी दैनिक पत्र "**नेटाल विटनेस**" ने अपने कई कालमों में इस आन्दोलनकी भयंकरता प्रकट की। उसका कुछ अंश पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता है। पहिले तो 'विटनेस' ने इस घटनाका शीर्षक बड़ा लम्बा चौड़ा और डरावने शब्दोंमें दिया था जैसे "मजूरोंमें नया जोश," "सत्याग्रहने हड़तालका रूप धारण किया," "न्यूकासलमें भयानक उत्तेजना," "औरतें जेल जानेके लिये पुलिसको तंग कर रही हैं," "ध्यान देने योग्य मामला" आदि। इन चित्ताकर्षक शीर्षकोंके नीचे

" **विटनेस** " ने लिखा था कि:—

" नेटालके भारतवासियोंका सत्याग्रहके आन्दोलनमें सम्मिलित हो जाना अत्यंत भयसूचक है। गत मंगलवारकी रातको लगभग २० मनुष्योंने—जो कि ट्रांसवालसे निकाले जाकर यहां आये हैं—रेलवेमें काम करनेवाले भारतवासियोंकी बारकसमें जाकर उन्हें हड़ताल कर देनेके लिये उत्तेजित किया। इसके बाद बारकसकी देखरेख करनेवाले स्टेशन मास्टर वहां गये और उन्होंने मेसर्स थम्बी नायडू, भवानी दयाल और रामनारायणको पुलिसके सपुर्द किया। यह तीनों मजिस्ट्रेट मि० आर० डी० लायले के इजलासमें खड़े किये गये और रेलवेके अहातेमें घुस आनेका उनपर जुर्म लगाया गया, किन्तु मजिस्ट्रेटने इस जुर्मको खारिज करके 'मजूरों के बहकाने' की दफ़ा क़ायम कर इनको अपराधी सिद्ध किया और प्रत्येकको दो दो पौन्ड जुर्मानेका दण्ड दिया, किन्तु उन्होंने जेल जानेकी इच्छा प्रकट की जिसे मजिस्ट्रेटने स्वीकार नहीं किया। "

" हमें यह भी मालूम हुआ है कि जब मामला समाप्त हो चुका तब सत्याग्रही स्त्रियां हमारे सुयोग्य पुलिसाध्यक्षका सामना करके सताने लगीं। उनका कथन यह था कि सरकारी क़ायदा भङ्ग करनेके लिये हम दोषी हैं, इस लिये हमें पकड़कर जेलमें बन्द करो; किन्तु चतुर अफ़सरने उनकी प्रार्थनाको स्वीकार नहीं किया और इस बलाको किसी तरह टालनेका प्रयत्न किया। तीसरे पहर इन हड़तालकारियोंने फरेली कोयलेकी खानपर धावा किया, वहां

बहुतायतसे भारतवासी काम करते हैं। वहांके भारतवासियोंको हड़ताल करानेमें इन्हें सफलता प्राप्त हुई। वे सब भारतवासी मजिस्ट्रेटके सामने पेश किये गये और न्यायाधीशने उन्हें कामपर जानेकी सख्त ताकीद की, किन्तु हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने कामपर जानेसे एकदम इनकार कर दिया है और सरकारी नियमका उल्लंघन करके जेलमें जानेको तैय्यार हैं। अगले हफ्तेमें ऐसीही अथवा इससे भी अधिक चित्ताकर्षक हलचल होनेकी आशा की जाती है। कहा जाता है कि इन आन्दोलनकारियोंका विचार यह है कि नेटालकी समस्त कोयलेकी खानोंमें जाकर भारतीय मजूरोंको हड़ताल करनेके लिये उत्तेजित किया जाय। पकड़नेसे पहिले वे लोग अपने उद्देश्यको पूरा कर डालेंगे, यह काम सब जगह समान नहीं होगा। खासकर ट्रांसवालसे २०० पुरुष और स्त्रियां नेटालमें आनेके लिये तैय्यार हैं और जहां जाकर ये लोग काम छोड़ेंगे—अर्थात् पकड़े जांयगे—वहांसे वे लोग इनका काम सम्हाल लेंगे। यह विश्वास किया जाता है कि थोड़ेही दिनोंमें हड़तालका बुखार सर्वत्र फैल जायगा और गन्नेकी कोठी, चायके बागान तथा रेलवेके नौकरोंमें भी यह हड़ताल घुस जायगी। यदि सरकार इनके काममें तत्क्षण दखल न देगी तो नेटालके उद्योगधन्धोंकी भयंकर हानि होनेकी संभावना है। यह आन्दोलन नितान्तही भयजनक है, और यहांकी भारतीय जनता इस आन्दोलनसे सहानुभूति रखती है। मुसलमान भी इसमें शामिल हैं, किन्तु अपने हिन्दु भाईयों की तरह

उनमें दिलेरी नहीं है; क्योंकि उनमें अधिकांश दूकानदार हैं और राजनैतिक आन्दोलनमें शामिल होना नहीं चाहते।" इसी तरह से यहांके समस्त अँग्रेजी दैनिक पत्रोंमें इस विषय पर खूब चर्चा होने लगी। किसीने भारतवासियों के अनुकूल और किसीने प्रतिकूल सम्मति प्रकट की।

यहां मि० लाज़रसके विषय में दो चार बातें न कहना कृतघ्नता होगी। इस अवसरपर मि० लाज़रस और उनकी पत्नीने हड़तालियों की जैसी सेवा की वह सर्वथा प्रशंसनीय है। उनका घर हड़तालियोंका मन्दिर बन गया था। जिस दिनसे हम लोग न्यूकासल आये उसी दिनसे मि० लाज़रस हम लोगोंके आतिथ्य-सत्कारमें लग गये। उनकी स्त्री दिनभर भोजन बनानेमें लगी रहती थीं, सबको खिला पिला कर श्रीमती लाज़रसको कहीं अर्द्ध-रातको सोनेका अवकाश मिलता था। मिस थोमस नाम्नी एक कृश्चियन कुमारी भी मिसेज़ लाज़रसका हाथ बंटाती थीं। ज्यों ज्यों हड़तालियोंकी संख्या बढ़ने लगी त्यों त्यों इनको अधिकाधिक कष्ट होने लगा। पाठक यह न समझें कि यहां दस बीस ही मनुष्योंके भोजनका प्रबन्ध करना पड़ता होगा। सैंकड़ों हड़तालियोंके भोजनकी व्यवस्था करना कोई साधारण काम नहीं था। बड़े बड़े हंडोंमें चावल रांधे जाते थे और चूल्हे पर से उतरते ही उनका पता नहीं लगता था। एक दिन मि० लाज़रसने मकईके आटेकी 'फारीज़' पकाई, यह सहजहीमें पक जाती है। ज्यों ही 'फारीज़'

पक कर तैय्यार हुई त्योंही हड़तालियोंका दल उस पर टूट पड़ा। हमारे भाईयोंको सन्तोष कहां? किसीने म० लाजरसके हाथ पर धक्का मार दिया जिससे चमचेका सब 'फारीज' उनके शरीर पर गिर पड़ा और कई जगह फफोले पड़ गये। जब हड़तालियोंकी संख्या बहुत ही बढ़ गई तब मैं और मि० नायडू थैले लेकर दूकानदारोंके पास जाकर डट जाते और उनसे अंग्रेजी रोटी (Bread) मांगकर हड़तालियोंको खानेको देते। हमारा काम इतना बढ़ गया कि अब दम लेनेका भी अवकाश नहीं मिलता था। निदान महात्मा गान्धीको तार द्वारा खबर दी गई और उन्होंने मि० पोलकको न्यूकासल भेजा। मि० पोलकने आकर मुझको आदेश किया कि अधिकारियोंकी वक्रदृष्टिसे बचे रहना; क्योंकि अभी तुम्हें बहुत काम करना अवशिष्ट है।

तीन मासकी जेल

इस भयानक हड़तालको देखकर यूनियन सरकार और गोरे अधिकारियोंमें घोर घबराहट मच गई। अतएव उन्होंने आन्दोलनकारियोंको पकड़कर जेलमें ठेल देनेका पूर्ण निश्चय कर लिया। ता० १८ अक्टूबरके "नेटाल विटनेस" में मेरे व्याख्यानका कुछ अंश छपा था, बस अब क्या पूंछना था। मुझको पकड़नेके लिये वारन्ट जारी किया गया। कोई दस बजेके समय पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट मि० मेकडानल्डने मुझको गिरफ्तार कर लिया

मेरे साथ शिवप्रसाद भी पकड़े गये। मि० मेकडानल्डका चहरा आज क्रोधके मारे लाल हो गया था। उन्होंने बड़े ज़ोरसे कड़क कर मेरा नाम पूंछा। मैंने कहा कि नाम तो मेरा 'दयाल' है, किन्तु इसके अलावे और कुछ बतलाना नहीं चाहता। शिवप्रसादने अपना नाम 'प्रसाद' बतलाया। मेरे ख़ास अनुरोधसे मि० मेकडानेल्डने हमें आजही मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर किया। उस समय अदालतमें ख़ासी भीड़ लग गई थी। हम प्रसन्नतापूर्वक अभियुक्तोंके कठहरेमें जा डटे। मजिस्ट्रेटने मुझे टोपी उतार देनेके लिये कहा, किन्तु मैंने ऐसा करनेसे साफ़ इनकार कर दिया।

मजिस्ट्रेटः—तुम हिन्दू हो या मुसलमान ?

मैंः—महाशय ! मैं हिन्दू हूं।

मजिस्ट्रेटः—मुसलमानोंको टोपी पहिने हुये अदालतमें आनेका अधिकार है, परन्तु हिन्दुओंको नहीं।

मैंः—साहब ! यह मेरी देशी टोपी है और इसको पहिन कर मैं हरएक अदालतमें जाता हूं, पर आपके समान विचित्र आज्ञा आज तक किसीने नहीं दी।

इसके बाद मेरे मुक़द्दमेकी कार्रवाई शुरू हुई। मैंने अपने बयानमें कहा कि जब तक भारतवासियोंका ख़ून चूसनेवाला यह तीन पौन्डका टेक्स नहीं रद्द कर दिया जायगा तब तक हम हड़तालका काम जारी रखेंगे। शिवप्रसादने भी मेरे ही बयानका अनुमोदन किया। इसके बाद पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट, पुलिस इन्सपेक्टर और हेड कान्स्टेबलके बयान लिये गये। इन्होंने अपने

बयानोंमें फ़रमाया कि " यह लोग ट्रांसवालसे यहां आकर हड़ताल करानका प्रयास कर रहे हैं और इनके उपदेशकी बदोलत हज़ारों मजूर कामधन्धा छोड़कर इधर उधर भटकते फिरते हैं। यहां तक कि दो दिनसे शहरमें मैला उठानेवाला कोई नहीं मिलता है, भंगियोंने भी इस हड़तालमें भाग लिया है।" इसके बाद मजिस्ट्रेट साहिबने अपना लम्बा-चौड़ा फ़ैसला पढ़कर सुनाया, जिसका आशय यह था:—

" जिस उद्देश्यसे तुमने हड़तालका काम जारी किया है वह सफलीभूत नहीं हुआ। तुमको सरकारका बिरोध करना चाहिये था, किन्तु तुमने गोरे व्यापारियोंका कामधन्धा बन्द कराया है। इस लिये गोरे व्यापारियोंके व्यवसाय नष्ट करनेका अपराध तुम पर लगाया गया है। तुमने कितने ही आदमियोंको कामधन्धा छुड़ाकर बेकार बना दिया है, इसका सारा उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जैसे अन्दोलनकारियोंको भारीसे भारी सजा देना न्यायसङ्गत है, किन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि अभी तुम्हारे जैसे आन्दोलनकारियोंके लिये उपयुक्त क़ायदा नहीं बना है। आशा है कि पार्लीमेन्टकी अगामी बैठकमें ज़रूर ही बन जायगा। इस लिये तुमको दयापूर्वक ९ पौन्ड जुर्माना अथवा ३ मास सपरिश्रम कारावासका दण्ड दिया जाता है।"

इस पर मैंने कहा कि " साहिब ! दयाको अपने पासही रखिये और हमें कड़ेसे कड़ा दण्ड देनेकी कृपा कीजिये।" मैंने जुर्माना न देकर जेल जानाही पसन्द किया। पुलिसने मुझे तथा शिवप्रसा-

दको ज्यों ही अदालतसे बाहर निकाला त्योंही गुलाबदास और रघुबर मि० मेकडानेल्डके पास आ पहुंचे और अपनेको हड़ताली कहकर पकड़वा दिया।

निदान सिपाही हमें वहांसे हटाकर जेलको ले चला, उस समय मि० पोलक और मि० थम्बी नायडूने आकर मुझसे हाथ मिलाये और अपने व्रत पर अटल रहनेका आदेश किया।

न्यूकासलकी जेल

मैं और शिवप्रसाद न्यूकासलकी जेलमें लाये गये। पहिले हमारा नाम, धाम और पूरा पता लिखा गया, इसके बाद दस अंगुलियोंकी छाप ली गई। हमारे कपड़े बदलकर जेलके कपड़े पहिनाये गये। घुटने तकका पायजामा, एक कुरता और एक अंगरखा मिला, टोपी भी लखनऊआ थी। सब कपड़े टाटके थे, बहुत खोज करने पर मेरे पांवके योग्य जूता मिला। जेलकी पोषाक मुझे बड़ी पसन्द आई। एक बार हम जेलमें खटमलोंसे खूब सताये जा चुके थे, इस लिये मैंने जेलरसे तुरन्त फ़रियाद की कि "कोठरियोंमें खटमल बहुत हैं, जिससे रातको मुझे तकलीफ़ होगी।" जेलरने उत्तर दिया कि "मैंने मेरीत्सबर्गसे खटमल मारनेकी दवाई मंगवाई है, दवा आ जाने पर यह शिकायत दूर कर दी जायगी।" प्रत्युत्तरमें मैंने कहा कि "जेलके क़ायदेमें लिखा है कि किसी क़ैदीको यदि एक भी खटमल मिले तो वह जेलरको तुरन्त इत्तिला

देवे, इस लिये यदि आप शीघ्र कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो जेलके डायरेक्टरके पास पत्र लिखनेकी मुझे इजाज़त दीजिये।" इस पर जेलरने बड़े हैरान होकर कहा कि "तुम मुझे क्यों इतना तंग करते हो, मैं कल-परसों तक तुम्हें कहीं दूसरी जगह भेज दूंगा।"

आज शनिवार था, दोपहरको कैदी छुट्टी पा गये थे। मुझे देखकर हड़ताली कैदियोंको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा कि "आपको देखकर हम लोगोंका उत्साह बहुत बढ़ गया है।" मैंने उत्तर दिया कि "क्या आप लोगोंको भेजकर मैं बाहर रहता ? ऐसा करना निसन्देह विश्वासघात होता।" निदान हमें जेलकी एक कोठरीमें बन्द कर दिया गया। शामके वक्त सब कैदियोंको 'पूपू' के साथ रोटी मिली किन्तु हमें इस लाभसे बंचित रखा गया अर्थात् केवल 'पूपू' ही दी गई। जेलरसे शिकायत करने पर मालूम हुआ कि "हम बहुत विलम्बसे आये, इस लिये हमें आज रोटी नहीं मिलेगी, केवल 'पूपू' पर सन्तोष करना होगा।" मैंने केवल 'पूपू' लेनेसे इनकार किया और रातको उपवास करना उचित समझा।

दूसरे दिन रविवार था, इस लिये दिनभर जेलकी कोठरीमें बन्द रहना पड़ा। सोमवारको प्रातः हम लोग पंक्तिबद्ध खड़े किये गये और सबकी तलाशी ली गई। मेरी जेबसे **भागवद्गीता**की पुस्तक निकल आई। वार्डरने मुझे पकड़ कर जेलरके सामने खड़ा किया। भगवद्गीता क्या था मानो कोई भयंकर हथियार था। जेलरके पूंछने पर

मैंने कहा कि यह मेरी धार्मिक पुस्तक है; जेलरको समझाने पर गीता रखनेकी इजाज़त मुझको मिल गई। मैं एक काफ़िर सिपाहीकी निगरानीमें काम करनेके लिये बाहर भेजा गया। मैं जेलरकी फुलवाड़ीमें काम करनेको गया और अन्य हड़ताली दूसरी जगह काम करनेको भेजे गये। जब यह ख़बर नगरनिवासियोंको मिली तो झुन्डके झुन्ड मनुष्य मुझे देखनेके लिये आने लगे। वे लोग दूर खड़े होकर मेरी तरफ़ निहारते और शिर झुकाकर अभिवादन करते थे। बात करनेकी तो सख्त मनाही थी, इस लिये दूरसे ही मनोगत भाव प्रकट करते थे। कई कोमलाङ्गनियोंकी आँखोंसे आंसू टपकते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था; क्योंकि उनसे मेरी केवल चार दिनकी जान पहिचान थी। आजका दिन बड़े आनन्दसे कट गया।

आजही शामको भोजनान्तर हमें इकट्ठा करके सबके हाथोंमें हथकड़ी डाल दी गई और वहांसे हमें न्यूकासलके स्टेशनपर लाया गया। गाड़ी आनेमें दो चार मिनिटकी देर थी, इस लिये हमें एक ओर खड़ा किया गया। इतनेमें ही मि० पोलक मेरे पास आ निकले और आपने मुझसे कहा कि "घबराना नहीं; आपकी स्त्री और बच्चा कुशलपूर्वक हैं।" मैंने उत्तर दिया कि "तबतक हम कुशल नहीं समझते, जबतक कि वे जेलमें नहीं पहुंच जांय।" इसपर मि० पोलक हँस पड़े। गाड़ी आते ही हमें एक डब्बेमें ठूंसकर ताला लगा दिया गया, रातको सोनेकी जगह नहीं मिली। सारी रात बैठकर बितानी पड़ी और २१ अक्टूबरके प्रातःकाल हम मेरीत्सबर्ग पहुंच गये।

मेरीत्सबर्गकी जेल

हम लोग स्टेशनसे मेरीत्सबर्गकी जेलमें लाये गये। यहांके चीफ़ वार्डरने मेरे पाससे भगवद्गीता छीन ली और भांति भांतिकी धमकी देने लगा। आपने यहांतक फ़रमाया कि "तुम्हारे जैसे आन्दोलनकारियोंके होशकी दवाई करनेका यही उपयुक्त स्थान है।" हमारे कपड़े-लत्ते बदलकर नये पहिनाये गये, नामधामकी फिरसे दुहाई हुई, शिरके बाल मूंडे गये और यहांतक कि मूंछो पर भी कतरनी फेर दी गई। स्नानागारमें सबको नंग-धडंग नहानेको कहा गया, इससे सबको कुछ कुछ लज्जित होना पड़ा; क्योंकि भारतीय स्वभावके कारण हमने कभी नग्न होकर स्नान नहीं किया था। आजका दिन योंही निकल गया, दूसरे दिन हमें 'हार्डलेबर यार्ड' में काम करनेको भेजा गया। वहां मामूली काम करना पड़ता था किन्तु सात-आठ दिनके बाद हमें पत्थर तोड़नेके काम पर जोता गया। आंखमें जाली–तारका चश्मा–चढ़ाकर पत्थर तोड़ना पड़ता था।

दिनचर्या—मैं प्रातः तीन बजे सोकर उठ जाता था, ५ बजे जेलका घन्टा बजता था उस समय अपना विस्तर चौतह कर तैय्यार रहता था। थोड़ी देरके बाद कोठरीका दरवाज़ा खोला जाता था, उस समय मल मूत्रका बर्तन उठाकर पाखानेमें फेंकनेके लिये जाना पड़ता था। इसके बाद स्नानागारमें हाथमुँह धोकर और पाकशालासे कलेवा लेकर अपनी कोठरीमें आ जाते थे। खा-पी कर तैय्यार होनेपर ६ बजे फिर घन्टा बजता था, तब हमलोग कोठरीसे निकलकर बाहर खड़े हो जाते थे। गवर्नर आकर हमारा निरीक्षण

करता था और इसके बाद हमलोग भिन्न भिन्न कामोंपर भेज दिये जाते थे। ठीक ७ बजे कामपर हाज़िर होते थे, १२ बजे खानेके लिये छुट्टी मिलती थी। खानातलाशीके बाद भोजन मिलता था। एक बजे फिर कामपर जाना पड़ता था और शामको ५ बजे छुट्टी मिलनेपर फिर हमारे कपड़ोंकी तलाशी ली जाती थी। वहांसे स्नानागारमें जाकर नग्न स्नान करनेके पश्चात् सायंकालिक भोजन मिलता था। भोजन लेकर हम अपनी कोठरीमें आ जाते थे। भोजनान्तर कुछ समयतक पुस्तकपाठ और परमात्माकी उपासना करके निद्रादेवीकी गोदमें विश्राम करते थे। यही जेलमें हमारी दिनचर्या थी।

भोजन—भारतीय क़ैदियोंको खानेके लिये सुबह ८ औंस 'फारीज़' दी जाती है। मकईके आटेको पकाकर उसमें थोड़ासा नमक डाल देनेसे 'फ़ारीज' बन जाती है, और यह ख़ासकर काफ़िरोंका खाना है। दोपहरको ८ औंस भात, ४ औंस बीन्सकी दाल और २ औंस तरकारी मिलती है। शामको २ औंस 'पूपू' और ६ औंस रोटी दी जाती है। मकईकी लपसीको 'पूपू' कहते हैं और यह भी काफ़िरोंका खाना है। छः मास अथवा उससे अधिककी सज़ा पाये हुये क़ैदियोंको सप्ताहमें तीन दिन एक एक औंस घी मिलता है और शामको 'पूपू' के बदले थोड़ीसी काफ़ी मिल जाती है। प्रत्येक रविवारको भारतीय क़ैदियोंको ४ औंस भात और ८ औंस मांस दिया जाता है किन्तु जो निरामिषहारी हैं उन्हें मसाला डालकर पकाई हुई ८ औंस बीन्स की दाल मिलती है। अस्पतालमें डाक्टरकी योजनाके अनुसार भोजन दिया जाता है। जेल [illegible] वन मे पूछनेपर मालूम हुआ कि

भोजन भारत सरकारकी सम्मतिसे निश्चित किया गया है। न जाने भारत सरकारने भारतीय क़ैदियोंके लिये काफिरोंका खाना 'फारीज़' और 'पूपू' कैसे स्वीकार कर लिया।

पोशाक—भारतीय क़ैदियोंके पहिननेके लिये घुटने तक का पायजामा, कुरता, टोपी, अंगरखा और जोड़ा जूता मिलता है। रातको ओढ़ने-बिछानेके लिये गर्मीमें २ और जाड़ेके मौसममें ३ कम्बल दिये जाते हैं। किसी किसी जेलमें चढ़ाई और बलिश्त भी मिलता है। लम्बी मुद्दतके क़ैदीको लम्बा पतलून दिया जाता है। अच्छे चाल चलनके कैदीको 'अच्छा आचरण' Good Conduct और 'सितारा' Star का चिन्ह मिलता है जो कि उसके अंगरखे पर अंकित रहता है। पानीके मौसममें क़ैदियोंको ओवरकोट भी दिये जाते हैं।

मेरीत्सबर्गके जेलख़ानामें हमें कोठरीमें नहीं बन्द किया गया था। एक मकानके दो मंज़िले पर जिसकी दोनों तरफ़ कोठरियां थीं और बीचमें आने जानेका रास्ता था उसी रास्ते (Passage) में हम लोग ३० आदमी रखे गये थे। इससे खूब आनन्द आता था, निधड़क बातचीत होती थी और ख़ासी चहल पहल रहती थी। इतने मनुष्योंके कण्ठकी कलकलाहटकी प्रतिध्वनिसे बड़ा होहल्ला मच जाता था इस लिये कभी कभी गवर्नर साहिब आकर कहते कि "इतना हल्ला गुल्ला क्यों?" उस समय घोर निस्तब्धता छा जाती थी।

तीन दिनका उपवास

पहिले तो यह 'पूपू' और 'मीलमील' खानेमें मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, किन्तु धीरे धीरे आदत पड़ जाने पर थोड़ा थोड़ा खाने लगा। खाता क्या था—भूखके मारे ठूंसठास कर गलेके नीचे उतार लेता था। हमने जेलके गवर्नरसे कई बार घी के लिये प्रार्थना की, किन्तु हमें यही उत्तर मिलता गया कि "तीन मासके कैदियोंको घी नहीं मिल सकता।" जब हमने देखा कि सीधी अंगुलियोंसे घी निकलना कठिन है तब हमने उपवास (Hunger Strike) करना निश्चित किया।

आज ता० १० नवम्बर सोमवारका दिन है। हम लोग ४० कैदियोंने इस प्रतिज्ञा पर भोजन लेना छोड़ दिया कि जबतक घी नहीं मिलेगा तबतक अन्न नहीं खांयगे। गवर्नरने आकर उपवास का कारण पूंछा, शिकायत करने पर उत्तर मिला कि "घी तुमको हर्गिज़ नहीं मिल सकता।" खैर, आज हमें पत्थर तोड़नेके कामपर लगाया गया और बाडेरको ताकीद कर दी गई कि इनसे खूब सख्त काम लिया जाय। दोपहरके भोजन लेनेसे फिर हमने इनकार किया। शामको हमें जेलमें लाया गया और भोजन करनेके लिये अनुरोध किया गया। हमारे इनकार पर जेलरने ६ व्यक्तियों को चुनकर अलग किया—प्राग्जी देसाई, मणिलाल गान्धी, सुरेन्द्रराय मेढ, रावजी भाई पटेल, गोकुलदास गान्धी और मैं। हमें जेलकी 'अमगेनी' नामकी कोठरीमें बन्द किया गया, जिसमें

प्रायः खूनी क़ैदी रखे जाते हैं । उधर जेलरने अन्य क़ैदियोंको धमकाना शुरु किया कि "यदि तुम लोग अन्न नहीं खाओगे तो तुम्हारी क़ैदकी मियाद बढ़ा दी जायगी और तुमको काली कोठरीमें बन्द कर दिया जायगा," इत्यादि । इससे डरकर अथवा भूखके मारे २० मनुष्योंने भोजन ले लिया, किन्तु शेष २० मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे ।

मंगलवारको हम ६ व्यक्तियोंको अलग अलग पिञ्जरों में बन्द किया गया, यह छोटे छोटे पिञ्जरे बदमाश क़ैदियोंके लिये बनाये गये हैं । हमें अन्य क़ैदियों से सर्वथा पृथक् रखा गया ताकि अन्य क़ैदियों पर हमारे जादूका असर न पड़ने पावे । हमें आंखमें झांझर—तारकी पट्टी—बन्धवा कर पत्थर फोड़नेके कामपर जोता गया । बिहार प्रान्तके तेली बैलकी आंखोंमें पट्टी बान्धकर कोल्हूमें जोतते हैं, ठीक तेलीके उस बैलके समान ही इस समय हमारी दशा हुई । दोपहरको खानेकी छुट्टी मिली, हम लोग एक अलग कोठरीमें रखे गये । उस समय गवर्नरने आकर कहा कि "सचमुच तुम बड़े दुष्ट हो, तुम्हारे उपदेशसे छोटे छोटे बच्चे खाने बिना मरते हैं; तुमने यह बड़ाही घृणित प्रथाका अवलम्बन किया है।" हमने उत्तर दिया कि "हमने किसीको अन्न छोड़नेके लिये नहीं कहा और जो बच्चे अन्न नहीं खाते हैं वे हमारे बहकाने से नहीं प्रत्युत घी के लिये अन्न छोड़े बैठे हैं ।" गवर्नर साहब ज़रा गर्म होकर चले गये । शामको ६ बजे मजिस्ट्रेट साहब आये । उनके

सामने हम लोग बारी बारीसे पेश किये गये; हमारे अन्य साथियों-का बयान लेनेके बाद मुझको बुलाया गया, मैं कठघरेमें जाकर खड़ा हुआ—

मजिस्ट्रेट—तुमने अन्न खाना क्यों छोड़ा है?

मैं—घी के लिये!

मजिस्ट्रेट—जेलके क़ानूनके अनुसार छः माससे कमकी सज़ा पाये हुये क़ैदियोंको घी नहीं मिल सकता। तुम जेलके नियमभङ्ग-का भयानक अपराध करते हो।

मैं—जबतक घी नहीं मिलेगा तबतक हम अन्न नहीं खांयगे।

मजिस्ट्रेट—क्या तुमने जेलको अपना घर बना लिया है? आज घी मांगते हो, कल दूध मांगोगे, परसों फल मांगोगे और नरसों औरही कुछ मांगोगे। इस लिये तुम्हारी बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा सकता।

मैं—चाहे हम भलेही भूखों मर जांय, किन्तु घी के बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे।

मजिस्ट्रेट—अगर तुम मर भी जाओ तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं। तुमको दफ़नानेके लिये यहांपर बहुतसी ज़मीन है।

इतना कहकर मजिस्ट्रेट साहब भी चले गये और हमने उप-वासको जारी रखा। दो दिनका उपवास और तिसपर कड़ा काम करनेसे मंगलवारकी रातको मुझे बुख़ारने धर दबाया, मैं रातभर बेसुध पड़ा रहा। बुधवारके सुबह सेक्शन वार्डरने मुझे वहांसे

उठवा कर अस्पताल भेज दिया, मेरे साथ शिवपूजन और शिव प्रसाद भी अस्पतालमें लाये गये। धीरे धीरे अस्पतालमें उपवासियोंकी संख्या बढ़ने लगी; रामदास और रेवाशङ्कर भी बेहोश होकर गिर पड़ने पर अस्पतालमें लाये गये। अस्पतालमें उपवासियोंकी खासी भीड़ लग गई। डाक्टर साहिब आये और उन्होंने सबकी नाड़ी देखकर कहा कि "इनको और कोई रोग नहीं है, केवल भूखके मारे इनकी यह दशा हो रही है।" ज्यों त्यों करके दिन कटा, शामको ५ बजे उपवास करनेवाले कैदियोंको पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया और गवर्नर साहिबने यह फ़रमान सुनाया—"राजस्व-सचिवने तुम्हें प्रतिदिन एक औंस घी देनेकी आज्ञा दी है, कलसे तुमको घी मिलने लगेगा, अब तुम भोजन करना आरम्भ करो।" निदान सबने भोजन करना आरंभ कर दिया, किन्तु मैं तो बहुत निर्बल हो गया था; इससे पहिले मैंने कभी उपवास नहीं किया था, इसलिये ३ दिनके उपवासने मुझे सर्वथा कमज़ोर कर दिया। दूसरे दिन मैं जेलके अस्पतालमें भेजा गया, वहां मुझे जेलके भोजनके सिवा एक सेर दूध भी मिलने लगा।

एक दिन म० बद्री बीमार होकर अस्पतालमें आये, इनकी अवस्था ६० वर्षकी है, किन्तु डाक्टरने इन्हें निरोग्य कहकर कामपर भेज दिया। दूसरे दिन म० बद्री फिर आये किन्तु डाक्टरने उनकी एक न सुनी। तीसरे दिन कई मित्रोंकी प्रेरणासे बद्री राम फिर आये, मैंने उनके निकट जाकर तबीयतका हाल पूंछा, उन्होंने जवाब

दिया कि "मैं बहुत बीमार हूं, मेरे पेटमें बड़ा दर्द होता है। डाक्टर नाईटने मुझे केवल भात और दूध खानेकी आज्ञा दी थी, किन्तु जेलके भोजनने मेरी अंतड़ियोंको बिलकुल खराब कर दिया है; तिस पर भी डाक्टरका यह ठपका कि "तुम निरोग हो, केवल बीमारी का बहाना करते हो' मुझे बड़ा अखरता है, मैं बीमारीका बहाना भला क्यों करूंगा ?" मैंने उनसे कहा कि "आप ठहरिये, आज मैं डाक्टर साहिबसे खुद बात करूंगा।" डाक्टरके आनेपर मैंने म० बद्रीकी अवस्थासे उनको परिचित कराया, तब उन्हें अस्पतालमें दाखिल कर लिया गया।

खेत पर काम—एक हफ्ते मैं अस्पतालमें पड़ा रहा, इसके बाद खेत पर काम करनेके लिये भेजा गया। मेरे साथ १० दूसरे नवयुवक भी काम करते थे। बिहारी हमारा सरदार था। महात्मा गान्धीके पुत्र रामदास भी मेरे साथ ही काम करते थे। खेतमें मुरई, गाजर आदि अनेक प्रकारकी वनस्पतियें मौजूद थीं। रेवाशङ्कर, मुनस्वामी, सुबैया आदि गाजर उखाड़ कर खानेमें बड़े उस्ताद थे, रामदास एक भी गाजर नहीं छूता था, उसका कहना यह था कि "सरकार से हमें जो कुछ खानेको मिलता है उसीमें सन्तोष करना चाहिये।" रामदासको छोड़कर दूसरा कोई इस नियमका पालन नहीं करता था। हमारी निगरानीके लिये जो काफ़िर सिपाही साथ रहता था उसे हम एक तरफ़ बिठा देते थे। गोरा वार्डर कभी हमारा काम देखनेको नहीं आता था, वह दूरहीसे कह देता था कि "मैं जानता

हूं कि तुम लोग जैसा काम करते हो। तुम्हारे काम को मैं देखना भी नहीं चाहता।" यह वार्डर बड़ा मसखरा था और हम लोगोंके साथ हँसी–दिल्लगी किया करता था।

एक दिन मुनस्वामीने कहा कि "रामदास अपने मनसे नहीं, किन्तु अपने पिताके दबावसे जेल आया है।" यह बात रामदासको बड़ी बुरी लगी और उसने मुनस्वामीको खूबही फटकारा। रामदासने कहा कि "इस समय मेरी अवस्था १६ वर्षकी है सही; किन्तु मैं अपने देशके मान अपमानका ख्याल रखता हूं। मेरे श्रद्धास्पद पिताने मुझे जेल आनेको कहा, ऐसा समझना बिलकुल अज्ञानता है, मैं अपनी खुशीसे क़ैद भोग रहा हूं।" इसपर मुनस्वामी बड़ा लज्जित हुआ।

एक दिन यह सुननेमें आया कि महात्मा गान्धीको एक वर्षकी जेल हो गई है। इससे कितने ही कायर पुरुष घबरा उठे और कहने लगे कि "तुम गान्धीकी बहुत बड़ाई किया करते हो, अब क्या हुआ? उन्हें एक वर्षकी जेल हो गई। सरकारके आगे उनकी कुछ भी नहीं चली।" मैंने उत्तर दिया कि "सत्याग्रह का उद्देश्य ही जेल जाना है, उनको सज़ा मिलनेसे अब शीघ्र ही इस युद्धका अन्त होगा।" एक दो मद्रासी युवक जुर्माना भर कर चला जाना चाहते थे किन्तु मैंने उन्हे समझा–बुझाकर इस कुकृत्यसे रोका।

कभी कभी मुझे गुप्त रुपसे समाचार पत्र भी पढ़नेको मिल जाता था उसे पढ़कर मैं अपने भाईयोंको धैर्य्य दिया करता था।

इसी बीचमें मेरीत्स वर्गमें हड़ताल की आग भपकी, भारतवासियोंने एकदम हड़ताल कर दी। सड़कोंपर झुन्ड के झुन्ड भारतवासी गाते बजाते और लेकचरबाज़ी करते नज़र पड़ते थे, कहना न होगा कि मेरीत्सवर्गकी हड़तालने हमारे कमज़ोर भाईयोंपर बड़ा असर डाला और उनका उत्साह बढ़ गया।

मेरीत्सवर्गके हिन्दुस्तानी मज़ूर पकड़ पकड़ कर जेलमें भेजे जाने लगे, दो तीन दिनके अरसेमें सारा जेल भारतवासियोंसे खचा-खच भर गया। समस्त कोठरी भर गई, पासेज़में क़ैदी रखे गये और यहांतक कि जेलके चर्च और लायब्ररीमें भी क़ैदियोंको ठूसना पड़ा। शिवप्रसाद, गुलाबदास और मुझको एक कोठरीमें बन्द कर दिया गया। मुझे तो यह एकान्तवास अच्छा लगा किन्तु बिचारा गुलाबदास एकदम व्याकुल हो गया। अबतक वह ३० कैदियोंके साथ पासेज़में रहता था, पर आज उसे कोठरीमें बन्द होनेसे बड़ी घबड़ाहट मालूम हुई। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि "मुझे जल्द इस कोठरीसे बाहर निकालो अन्यथा मैं चिल्लाने लगूंगा।" मैंने कहा कि "यदि ऐसा करोगे तो फिर काली कोठरीका भी मुँह देखना पड़ेगा।" जब मेरीत्सवर्गका जेल हड़तालियोंसे भर गया तो हमें वहांसे हटा देनेकी ज़रूरत पड़ी।

दरबनकी सेन्ट्रल जेल

ता० २८ नम्बरको हम १०० कैदियोंको मेरीत्सवर्गसे दरबनकी सेन्ट्रल जेलमें भेजा गया। जिन ग्यारह सत्याग्रही स्त्रियोंको न्यूकासलमें दण्ड मिला था, उन्हें भी हमारे साथही मेरीत्सवर्गसे दरबनकी जेलमें भेज दिया गया। मुझे जेल हो जानेके बाद अपनी स्त्री और बच्चेको देखनेका यह पहिलाही अवसर मिला। हम लोग खास-खास डब्बोंमें बिठाये गये, स्टेशनसे गाड़ी छूटतेही कैदियोंने 'हिप हिप हुर्रे' की पुकार मचाई। हमारे हाथोंमें हथकड़ी मढ़ दी गई थीं लेकिन मेरा हाथ इतना पतला था कि मैंने हथकड़ीसे अपने हाथको खींच लिया। जब स्टेशन आ जाता तो मैं उसमें हाथ घुसेड़ लेता और गाड़ी छूट जानेपर फिर उसमेंसे हाथको रिहाई दे देता। जिस स्टेशनपर हमारी गाड़ी पहुंचती थी—वहीं 'हुर्रे हुर्रे' और 'वन्देमातरम्' की घोर गर्जना होने लगती थी। योंही आमोद-प्रमोद करते हम लोग दोपहरको दरबन स्टेशन पर पहुंचे और वहांसे सेन्ट्रल जेलमें लाये गये।

यहांपर हमारे साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया उसका वर्णन करते लेखनी थर्राती है। पहिननेके लिये जो कपड़े मिले वे ऐसे दुर्गन्धसे परिपूर्ण थे कि नाक नहीं दिया जाता था। भोजन ऐसा खराब दिया गया कि जिसे सूंघकर कुत्ता भी न खावे। गोरे वार्डर 'कुली' और काफ़िर सिपाही 'मकूला' कहकर पुकारते थे। बात बातमें गाली देते थे और ज़रासी बात करने पर चाबुकोंकी मार

पड़ने लगती थी। यह जेल क्या था मानों यमराजका सक्षात नर्क था। रातको ओढ़ने—बिछानेके लिये केवल एकही कम्बल दिया गया, उसीको चाहे ओढ़ो—चाहे बिछाओ! पत्थरके चबूतरे पर एक कम्बलसे गुजारा करना कितना कष्टसाध्य है, इसका सहृदय पाठक सहजही में अनुमान कर सकते हैं। इस बर्तावसे दुकित होकर कुछ साहसी पुरुषोंने फिर उपवास करना शुरु किया, उपवासके आरंभ होतेही कैदियों पर पाशविक अत्याचार होने लगे जिसके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

(१) म० प्राज्ञजी देशाई जो एक सुशिक्षित सत्याग्रही थे—उन्हे स्नानागारके निकट एक काफ़िर सिपाहीने पकड़ कर पीटना शुरु किया। उस शैताननेे मारते मारते प्राज्ञजीको अधमरा कर डाला और जब वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े तो उस काफ़िरने उनकी टांग पकड़ कर खूबही घसीटा। कंकड़ियों पर रगड़नेसे उनका शरीर खूनसे लथपथ हो गया। कई दिनतक वह अस्पतालमें पड़े कराहते रहे। अन्तमें उस काफ़िर सिपाहीके ऊपर दरबनके न्यायालयमें मुकद्दमा चलाया गया किन्तु वह निर्दोष कहकर साफ़ छोड़ दिया गया।

(२) रघुबरको एक वार्डरने 'हार्डलेबर यार्ड' में चलनेको कहा। रघुबर चलने को तो तैय्यार हुआ किन्तु वह जल्दी जल्दी नहीं चल सकता था क्यों कि भूखकी तापसे उसका शरीर निर्बल हो गया था। इसपर वार्डरने रघुबरकी गर्दन पकड़ कर ढकेल

दिया और पीछे खड़े होकर ठोकरें मारने लगा। रघुबरने जब इस जघन्य अत्याचारका प्रतिवाद किया तो वह बेचारा पकड़ कर गवर्नरके सामने पेश किया गया। साहिबने रघुबरको आठ दिन काली कोठरीमें बन्द रखनेका नादिरशाही हुक्म दे दिया और साथही उसे दिनमें केकल दो बार भात और पानी देनेको कहा, सो भी आधा पेट! बेचारा रघुबर आठ दिनमें सूखकर लकड़ी हो गया।

(३) रेवाशङ्कर फ़ीनिक्स—आश्रमका एक विद्यार्थी था। जब वह भूखके मारे अचेत हो गया तो उसे अस्पतालमें उठा लाया गया और डाक्टरने ज़बरदस्ती उसको अण्डा पिलाया। वह बहुत छटपटाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया लेकिन उसके धर्म के बिरुद्ध और उसकी इच्छाके प्रतिकूल अण्डा पिलाकर ही छोड़ा गया।

(४) एक दिन मैं पैख़ाने पर बैठा था, एक काफ़िर सिपाहीने मेरे पास आकर कहा कि 'ए मकूला छेछा' अर्थात् 'रे मजूर शीघ्रता कर।' मैंने उसीकी भाषामें उत्तर दिया कि 'मीना फिगीले मांझे' अर्थात् 'मैं अभी आया हूं।' इस पर उस पिशाचने मेरा हाथ पकड़ कर ढकेल दिया। मैंने पूंछा कि 'तुम ऐसा क्यों करते हो?' इसपर दूसरे काफ़िर—सिपाहीने मेरा गला पकड़ कर ख़ूब दबाया और जब मैंनें इस बातकी शिकायत गोरे वार्डरसे की तो जवाब मिला कि 'अगर मुझसे शिकायत करोगे तो मैं भी तुम्हें पीटे बिना न छोड़ूंगा।' मैं निराश होकर अपनी कोठरीमें चला आया और जब मजिस्ट्रेट साहिब आये तों मैंने उनसे फ़रियाद की।

मजिस्ट्रेटने मुझको आश्वासन दिया " इस मामलेमें जांच की जायगी।" किन्तु आजतक जांचही होती है।

इस बार ९ दिनतक उपवास किया गया। मैनें प्रारम्भिक दो दिन और अन्तिम एक दिन भोजन नहीं लिया। जब उपवास करते करते पांच दिन बीत चुके तो जेलके गवर्नर मि० डीनने आकर इस शार्त्तपर सुलह की कि 'सत्याग्रही कैदियोंकी सब शिकायतें दूर कर दी जायंगी।'

कुली शब्दकी व्याख्या—यद्यपि हमारी छोटी मोटी शिकायतें दूर कर दी गईं, कपड़े धोनेको साबुन मिला, पांवके लिये जूते मिले लेकिन गोरे और काफिर सिपाहियोंका 'कुली' और 'मकूला' कहना नहीं छूटा। जब हमने जाकर जेलके गवर्नरसे इस बातकी शिकायत की तो गवर्नर साहिबने शब्दकोष निकाल कर 'कुली' शब्दकी तुरंत व्याख्या कर दी। कहा कि 'कुली' का अर्थ है 'मजूर' चूंकि तुमको सख्त मजूरी (Hard labour) के साथ जेलका दण्ड मिला है इस लिये तुमको 'कुली' कहना कुछ भी बुरा नहीं है। काफिरलोग 'कुली' का अपभ्रंश 'कूला' या 'मकूला' कहते हैं। पुस्तक मांगनेपर गवर्नरने कहा कि 'हम किसी काले कैदीको अंग्रेजी पुस्तक नहीं दे सकते।'

जब गवर्नरने हमारी फरियाद नहीं सुनी तो प्रागजी देशाई सुरेन्द्रराय मेढ़ और मणिलाल गान्धीने फिर उपवास करना शुरू किया। इस बार छः दिनोंतक इन वीर पुरुषोंने अन्न ग्रहण नहीं

किया। प्रागजी भूखसे मूर्छित होकर असातालमें आये। छः दिनके उपवास होनेपर गवर्नर और जेलरकी आखें खुलीं और उन्होंनें अपनी करतूत पर खेद प्रकट करके सत्याग्रहियोंसे मुआफी मांगी। इससे हमलोगोंकी प्रायः सब शिकायतें दूर कर दी गईं और गोरे वार्डर तथा काफ़िर सिपाही 'इन्डियन' अथवा 'स्वामी' कहकर पुकारने लगे।

धार्मिक चर्चा—मैंने जेलके पुस्तकालयसे बाईबिलकी पुस्तक मांगली थी, उसे मैं नित्य ध्यानपूर्वक पढ़ता था; उसमें की अधिकांश बातें तो मुझे सफ़ेद गप्प ही जान पड़ती थीं किन्तु खासकर क्राईस्टका उपदेश मुझे बड़ा पसन्द आता था। जबतक कोठरीमें उजियाला रहता था तब तक बाईबिलका पाठ किया करता था और जब मेरी कोठरी अन्धकारसे आच्छादित हो जाती थी तो धार्मिक चर्चा होने लगती थी। महात्मा गान्धीके पुत्र रामदास मेरे ही साथ रहते थे। इस लिये नित्यही कुछ न कुछ चर्चा चलाही करती थी। रामदास को धार्मिक कथा सुननेकी बड़ी अभिलाषा थी, इस लिये मैं कभी महाराणा प्रताप सिंहकी जीवनीकी कुछ महत्व पूर्ण घटनाओंका वर्णन करता, कभी शिवाजी महाराजकी वीरताका बखान करता और कभी महर्षि दयानन्दके आत्मिक बलकी चर्चा किया करता था। कभी कभी मुझे कुछ आलस आ जाता था तो भी रामदास कुछ कहाये बिना मेरा पिण्ड नहीं छोड़ता था।

अमगेनीमें एक दिन—मैं जेलके अन्दरही काम किया करता था किन्तु एक दिन मैंने बाहर जानेकी इच्छा प्रकटकी। इस पर

वार्डरने बिगड़कर मुझे दरबनसे चार मीलके फ़ासिले पर अमगेनीमें पत्थर तोड़नेके काम पर भेज दिया। वहां जानेपर मुझे एक गाड़ी पत्थर लादनेका ठेका दिया गया, वयोवृद्ध बद्री भी इसी काम पर लगाये गये थे। अन्य मज़बूत तथा महनती क़ैदियोंने तो अपना ठेका पूरा कर लिया किन्तु मुझसे ठेकेका आधा काम भी नहीं हो सका। विवश होकर वार्डरने दूसरे क़ैदियोंसे मेरी गाड़ी भरवाई। दो पहरको खानेके लिये केवल आठ औंस भात दिया गया, उसके साथ दाल, तरकारी और नमक तक नदारद ! वह भात रातका रांधा हुआ था; इसलिये उसमेंसे बदबू निकलती थी। दिनभर तो पत्थर तोड़ना और खानेकी यह विचित्र व्यवस्था ! मैंने इस बातकी शिकायत की तो दूसरे दिनसे मुझे बाहर नहीं भेजा गया।

जबतक मैं दरबनकी सेन्ट्रल जेलमें रहा तब तक 'हार्डलेबर यार्ड'में काम करता रहा। इस अहातेमें चटाई, रस्से आदि चीज़ें बनाई जाती थीं। इस स्थानपर म० रामसरोज नामक क़ैदीसे मेरा अच्छा परिचय हो गया। म० रामसरोज धर्मके बड़े जिज्ञासु थे और मुझसे महर्षि दयानन्द तथा आर्य्य समाजके विषयमें तरह तरहके प्रश्न किया करते थे, मैं भी यथाशक्ति उनकी शंकाओंका समाधान करता रहता था।

अबतक रामदास, रेवाशङ्कर आदि युवक हमारे साथही रहते थे किन्तु गवर्नर साहिबको उनके चरित्र—सुधारकी बड़ी चिन्ता पड़ गई और उन्होंने आज्ञा देदी कि "यह सरल—हृदय बालक अलग रखे

जावें क्योंकि आन्दोलनकारियोंके साथ रहनेसे उनके आचरण पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी ज़िन्दगी ख़राब होती है।" ख़ैर यह नवयुवक हमारे पाससे हटा दिये गये।

अस्पतालमें १९ दिन—जेलके अनुपयोगी भोजनसे मुझे आंव आने लगी। ता० २९ दिसम्बर 'क्रिसमिस' (Christmas) के दिन मैं भयानक रुपसे बीमार होकर अस्पतालमें गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उस दिन मुझे १०९ डिग्री बुख़ार चढ़ आया था। डाक्टरने मुझे देखभाल कर केवल दूध पीनेकी आज्ञा दी, चार दिन तक मैं बेहोश पड़ा रहा। जब मुझे थोड़ासा आराम हुआ तो डाक्टरने मुझे २॥ सेर दूध, ४ औंस मजीना, ४ औंस ओटमील, ४ औंस साबूदाना, ४ औंस चीनी और १० औंस चाय देनेकी उदारता प्रकटकी। जेलका यह क़ायदा है कि अपनी ख़ुराक किसी दूसरेको नहीं दी जा सकती।

अपस्तालमें आनेपर मुझे मालूम हुआ कि कामके डरसे कितने ही क़ैदी भयानक कृत्य कर बैठते हैं। एक कारिफ़ क़ैदी अपना पांव काटकर बर्षोंसे अस्पतालमें पड़ा था; एक क़ैदी साबुन पीकर अस्पतालमें आया था; एक क़ैदीने शीशा पीस कर पी लिया और बीमार होकर अस्पतालमें आया, डाक्टरने बड़े परिश्रमसे उसे आराम करके कामपर भेजा, फिर उसने शीशा पीसकर पिया और अस्पतालमें आकर अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा। इस तरहकी घटनायें जेलोंमें प्रायः हुआही करती हैं।

यहांपर एक घटनाका उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सकता। जिस समय मैं बीमार होकर अपस्तालमें गया उस समय मुझे बाबू हरबत सिंहके दर्शन हुये थे, आपकी अवस्था ९० वर्षके लगभग थी। जब बालकरस्टमें आपको तीन मासकी जेल हुई तो महात्मा गान्धीने आपसे कहा था कि "आप एक दम वृद्ध हो गये हैं संभव है कि जेलमें आपका शरीर पात हो जाय, यदि आप चाहें तो मैं आपको छुड़ा सकता हूं।" किन्तु इस वीर पुरुषने उत्तर दिया था कि "जब मेरे इतने भाई और बहिन जेल भोग रहे हैं तो मैं घर जाकर क्या करूँगा? यदि मर भी जाऊं तो भी कुछ परवाह नहीं।" इस वीर पुरुषकी अस्पतालमें ही मृत्यु हो गई और उसका शव गाड़ दिया गया। किन्तु महात्मा गान्धीके उद्योगसे फिर उखाड़कर हिन्दू धर्मके अनुसार अग्नि संस्कार किया गया।

हम १० मनुष्योंको छोड़कर समस्त कैदियोंको पोयन्टके जेलमें भेज दिया गया, वहां उन बेचारोंपर मनमानी घरजानी की गई। मुझे कुछ आराम होनेपर काम करनेके लिये भेजा गया। मैं अपने मनमें हमेशा सोचा करता था कि हम अपने भाईयोंके पैरोंसे गुलामीकी जंजीर काटनेके लिये जेल भोग रहे हैं। मैं सदा प्रसन्न रहता था, उदासीका तो नाम तक नहीं था। बाबू कुंजबिहारी सिंह और मेरी बहिन राजदेवी प्रायः मुझसे मिलनेके लिये आया करते थे। इस प्रकार हँसी खुशीके साथ मैंने अपनी जेलकी मियाद पूरी कर दी।

जेलसे छुटकारा

निदान तीन मास कारावासकी अवधि पूरी कर ता० १७ जनवरी सन् १९१४ ईस्वी शनिवारको मैं दरबनकी सेन्ट्रल जेलसे छूटा। जेलके क़ायदेके अनुसार प्रत्येक क़ैदीको १० बजे जेलसे छोड़ा जाता है पर मुझको बड़े सबेरे ही कपड़े बदलनेकी इजाज़त मिल गई। जेलरने पूंछा कि "क्या फिर जेल आनेका बिचार है?" मैंने कहा कि "बेशक! जबतक हमारा हक़ न मिल जायगा तबतक जेलमें आतेही रहेंगे।" मुझको ९ बजतेही जेलसे छोड़ दिया गया। जब मैं बाहर निकला तो केवल म० लखू और म० भानू प्रकाशको जेलके दरवाज़े पर पाया। इनके साथ मैं रवाना हुआ, राहमें मुझे अन्य मित्रोंका दल मिला। उन लोगोंने मेरा यथोचित सत्कार किया।

ता. २० जनवरीको अन्य १० मद्रासी महिलाओंके साथ मेरी पत्नी जगरानी देवी जेल से छूटनेवाली थी। उस समय गोरोंकी हड़तालके कारण देशमें फ़ौजी क़ानून जारी हो गया था इस लिये जेलके दरवाज़े पर अधिक मनुष्य नहीं जा सके। नियमित समय पर केवल ३ स्त्रियां छोड़ी गई, शेषको इमीग्रेशन अमलदारकी सूचनासे रोक रखा गया। इन आठ स्त्रियोंको देश निकालेकी सज़ा होगी, यह अफ़वाह चारों तरफ़ फैल गई। जेलरने आकर मुझसे कहा कि 'तुम शीघ्र इमीग्रेशन आफ़िस पर जाकर अपनी स्त्रीको छुड़ानेके लिये प्रयत्न करो।' मैं मि. पोलकसे सलाह लेकर इमी-

ग्रेशन आफिस पर गया और अपनी स्त्रीको छोड़ देनेके लिये इजाज़त मांगी। इस पर जासूसोंने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और कहा कि 'तुम्हें भी देशनिकालेका दण्ड मिलेगा।' यह खबर मैंने टेलीफोन द्वारा मि. पोलकको दे दी। इसके बाद जासूसोंने मुझे प्रधान इमिग्रेशन अमलदार मि. डिकके सामने पेश किया। मि. डिकने मुझे देखते ही पाहिचान लिया और मुझे तुरंत रिहाई देकर मेरी स्त्रीको छोड़ देनेके लिये जेलरको सूचना दे दी। निदान दोपहरको मेरी पत्नी और पुत्र जेलसे छूटे, उनको बग्गी पर बैठा कर पारसी रुस्तमजीके मकान पर लाया गया। शेष सात स्त्रियोंके छुड़ानेका प्रयत्न चालू था, १२॥ बजेके समय राजस्व-सचिवकी विशेष आज्ञासे वे सब भी छोड़ दी गईं।

इसके बाद पारसी रुस्तमजीके मकान पर एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें श्रीमती गान्धी, श्रीमती डाक्टर मणिलाल, मिस वेस्ट, मिसेस पोलक, मिस मेलटिनो (पार्लीमेन्टके स्पीकरकी बहिन), मिस श्लेशीन, श्रीमती राजदेवी, श्रीमती बद्री आदि २०० यूरोपियन तथा भारतीय महिलायें सम्मलित हुई थीं। मि. पोलक, मि. केलनबेक, रेवरेन्ड बेली, पारसी रुस्तमजी, इमाम अब्दुल क़ादिर बाबाज़ीर, मि. सी. वी. पिल्ले आदि सज्जनोंने व्याख्यान देकर सत्याग्रही महिलाओंका बखान किया। नेटाल इन्डियन एसोसियशन, नेटाल इन्डियन वोमन्स एसोसियशन, ट्रांसवाल बृटिश इन्डियन एसोसियशन, ट्रांसवाल इन्डियन वोमन्स एसोसियशन,

ज़रथोस्त अंजुमन आदि सभाओंकी ओरसे इन सत्याग्रही वीराङ्गनाओंको पुष्पहार समर्पित किये गये । प्रिटोरियाकी बृटिश इन्डियन कमेटी, तामिल बेनीफिट सोसायटी और अंजुमन इसलामकी तरफ़से बधाईसूचक तार आये । दरबनकी तामिल महाजन सभा तथा हिन्दू वोमन्स सभा और सौथ कोस्ट इन्डियन कमेटीकी तरफ़से इनको प्रीति भोज दिये गये । इन सत्याग्रही स्त्रियोंकी गोदमें छः बालक भी थे जिन्होंने अपनी माताके साथ तीन मासकी कैद भोगी थी उनके नाम यह हैं:-(कन्यायें) शेषमा नायडू, राजमा पिल्ले और येजला पिल्ले । (बालक) बेलू नायडू, सभापति और रामदत्त (लेखकका पुत्र) ।

भारतके प्रतिनिधियोंसे भेन्ट

सर बेंजमिन राबर्टसन मध्यप्रदेशके चीफ़ कमिशनर हैं, आप भारत सरकारकी ओरसे प्रतिनिधि होकर यहां आये थे । आपके साथ मि० स्लेटर खानगी मंत्री और रायसाहिब सरकार सलाहकारके तौर पर आये थे । सर बेंजामिन राबर्टसन और मि० स्लेटरसे मैंने फ़ीनीक्समें ता० ९ फ़रवरी सन् १९१४ को मुलाक़ातकी थी । मि० पोलकने आपसे मेरा परिचय कराया और मेरे ऊपर बीते इमीग्रेशन मामलेका वर्णन किया । आप मुझसे बड़े प्रेमपूर्वक मिले । सर बेंजामिनको फ़ीनीक्स स्टेशनसे पैदल चलकर गान्धी आश्रम पर आना पड़ा था; उस समय मैं 'इन्डियन ओपि-

नियन ' के हिन्दी भागका सम्पादन करता था। यहां तो आप छोटे बड़े सबके साथ प्रेम प्रकट करते थे किन्तु आपकी तेज़ तबीयतका परिचय मुझे तब मिला जब कि आपने मध्य प्रदेशमें कई देशभक्तोंका आना रोक दिया और विद्यार्थियोंको राजनैतिक आन्दोलनसे अलग रखनेकी व्यवस्थाकी। किन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचारने पर इसमें सर बेंजमिनका कोई दोष नहीं मालूम पड़ता, यह सारा दोष भारतके ' ब्युरोक्रेसी राज्यपद्धति ' का है। रायसाहिब सरकार तो मुझसे कई बार मिले।

भारतके लोकमतकी ओरसे मि० एन्ड्रूज़ और मि० पियर्सन प्रतिनिधि हो कर यहां आये थे। मि० एन्ड्रूज़ बड़े मिलनसार और सरल स्पभावके मनुष्य हैं, आप बड़ी गम्भीरतापूर्वक धीरे धीरे बोलते थे, हिन्दीमें भी आप प्रायः व्याख्यान दिया करते थे। आप गुरुकुलके प्रवर्तक महात्मा मुंशीरामजी और कविसम्राट सर रवीन्द्रनाथ टेगोरके अनन्य भक्त जान पड़ते थे। आपसे दरबन तथा फ़ीनीक्समें मेरी कई बार मुलाक़ात हुई। मि० पियर्सन हिन्दी नहीं जानते थे, अलवत्ता बंग भाषाके आप एक मर्मज्ञ हैं। आप दोनों हाथ जोड़कर मुझसे बड़े प्रेमपूर्वक नमस्ते किया करते थे और कालिज पार्टी तथा गुरुकुल पार्टीके विषयमें मुझसे कभी कभी वर्तालाप किया करते थे। आपने स्थान स्थान पर भ्रमण करके यहांका अच्छा अनुभव प्राप्त किया था।

उपसंहार

इस राष्ट्रीय संग्रामसे समस्त भूमण्डलमें हलचल मच गई। प्रवासी भाईयोंने इस महान युद्धमें जिस वीरता और सहनशीलताका परिचय दिया वह भारतके इतिहासके पृष्ठोंपर सदाके लिये अंकित रहेगा। नेटालके २९ हजार भारतवासियोंने हड़ताल कर दी थी, यह हमारे लिये कुछ कम गौरवकी बात नहीं है। इतने भयंकर युद्धके बाद यहां की पार्लीमेन्टने भारतवासियोंसे हार मानी। तीन पौन्डका खूनी कर रद्द किया गया, और शर्तबन्दीकी अवधि पूरी होनेपर तीन बर्ष तक स्वतन्त्र होकर रहनेसे भारतवासी यहांके रईस समझे यांयगे यह नियम बनाया गया। भारतीय रीत्यनुसार किये हुये विवाहोंको सरकारने जायज़ क़रार दिया किन्तु शर्त यह करदी कि एक समयमें एक पुरुषके एकही स्त्री होनी चाहिये, और क़ायदेके अमलमें आनेसे पूर्व जिन्होंने एकसे अधिक विवाह कर लिये थे वह भी जायज़ मान लिये गये। दक्षिण अफ्रिकामें जन्मे हुये भारतवासियोंको केप प्रान्तमें जानेका पहिला हक्क क़ायम रहा, फ्रीस्टेटके क़ानूनमें भी कुछ परिवर्तन किया गया। सारांश यह कि सन्तोषजनक रीतिसे इस संग्रामका अन्त हुआ।

यहांपर हम माननीन मि॰ गोखलेकी स्वर्गस्थ आत्माके प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकाश किये बिना नहीं रह सकते हैं। महात्मा-गोखलेने रुग्नावस्थामें भी हमको विस्मरण नहीं किया था। भारतके भूतपूर्व वायसराय लार्ड हार्डिञ्जको भी धन्यवाद देना हमारा धर्म्म है

जिन्होने कि हमें हर तरहसे सहायता देकर सहृदयताका पूर्ण परिचय दिया था। यहां का भारतीय कमीशन भी धन्यवादका पात्र है। यद्यपि सत्याग्रहियोंने इस कमीशनका बहिष्कार कर दिया था तो भी कमिश्नरोंने भारतवासियोंकी मांगके बहुत कुछ अनुकूल ही सम्मति प्रकट कर सरकारको कानून बनानेके लिये वाधित किया था।

सत्याग्रहका अन्त होनेपर यहांके भारतवासियोंने माननीय मि० गोखलेके द्वारा इस आशयका तार भेजकर लार्ड हार्डिञ्जके प्रति कृतज्ञता प्रकाश की थी:—

"दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय जनता श्रीमान्‌की सेवामें हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है। सत्याग्रहके संग्राममें श्रीमान्‌की साहसिक न्यायशीलता, सहृदयता और महान सहायताका परिचय मिला है जिससे सन्धि होनेमें बहुत सुगतमा हुई है।"

इसके उतरमें लार्ड हार्डिञ्जने लिखा था कि:—

"दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय जनताके सन्देशके लिये हार्दिक साधुवाद। गत नवम्बरमें भारतके सर्व साधारणमें जैसा गंभीर कोलाहल मच गया था उसके प्रति मैंने अपने कर्तव्य पालनके सिवा अधिक कुछ नहीं किया। यह पवित्र सन्धि यूनियन सरकारकी बुद्धिमता और दूरदर्शिताका परिचायक है जिसकी भारतवासियोंने प्रतिष्ठाकी है। मैं आशा करता हूं कि यह सन्धि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय प्रजाके लिये आनन्ददायक और सन्तोषजनक होगी।"

लन्दनसे साऊथ आफ्रिकन इन्डियन कमेटीके सभापति लार्ड एम्पथिलने इस आशयका तार भेजा था:—

"दीर्घ कालके पश्चात सत्याग्रह संग्रामका सन्तोषजनक निपटारा हुआ। इस महान युद्धमें भारतवासियोंको विजय प्राप्त होनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि भविष्यमें प्रतिष्टा और मित्रताका संगठन होगा।"

मेसर्स एन्ड्रूज और पियर्सनने इस आशयका सन्देशा भेजा था:—

"दक्षिण आफ्रिकाके महान समरमें विजय प्राप्त करनेके लिये हम आप सबको बधाई देते हैं। युद्धके अन्त होजाने से हमें बड़ा आनन्द हुआ है और परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि यह सन्धि शांतिकी नीवपर दृढ़ हो। उन मित्रोंको प्यार कहें जिन्होंने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है।"

जोहांसबर्ग यूरोपियन कमेटीके सभापति मि. विलियम होसकिन ने इस आशयका तार भेजा था:—

"इस महान युद्धमें भारतवासियोंकी महान विजयका समाचार पाकर मेरे हृदयमें आनन्द और प्रेमका स्रोत उमड़ने लगा है।"

भारतके कविसम्राट् सर रवीन्द्र नाथ टेगोरने यह सन्देशा भेजा था:—

"मनुष्यत्व और सद्व्यवहारके लिये जो सत्याग्रहका महान आन्दोलन किया गया था उसमें अपने भ्राताओंकी वीरता, कर्म-परायणता और साहसको देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित होगया है।"

समाप्त